



## चन्द्रागिरि नगरपालिका चन्द्रागिरि नगरपालिका

### स्थानीय राजपत्र

खण्ड: ९, संख्या: ७, मिति: २०८३/०३/३२

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) को अधिकार प्रयोग गरी चन्द्रागिरि नगरसभाले बनाएको तल लेखिए वमोजिमको ऐन सोही ऐनको दफा १०२ को उपदफा (३) वमोजिम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

भाग-१

सम्बत् २०८३ सालको ऐन नम्बर १

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई

कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०८३

#### प्रस्तावना

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना संकलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले, चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :** (१) यस ऐनको नाम “चन्द्रागिरि नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३” रहेको छ।

(२) यो ऐन संवत् २०८३ साल श्रावण १ गते शुक्रबारका दिन देखि चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुनेछ।

२. **सम्पत्ति कर :** (१) चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका घर, टहरा तथा भवनहरू र सो ले चर्चेको जग्गामा अनुसूची -१ बमोजिम सम्पत्ति कर लगाई असूल गरिनेछ।

(२) उपदफा १ बमोजिम सम्पत्ति कर लगाउने प्रयोजनका लागि, जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन दर अनुसूची १(ख) तथा संरचनाको मूल्याङ्कन दर र हासकट्टी अनुसूची १ (ग) बमोजिम हुनेछ।

(३) नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका घर, टहरा तथा भवनहरू र सो ले चर्चेको जग्गामा आ.व.२०७२/७३ लाई आधार वर्ष मानि तत् तत् आर्थिक वर्षको दररेटमा कर निर्धारण गरि असूल गरिनेछ। उल्लेखित आधार वर्ष भन्दा अधिका आर्थिक वर्षहरूको सम्पत्ति कर करदाताले स्व घोषणा गरी बुझाउन चाहेमा यस ऐन बमोजिमको दररेटमा कर निर्धारण गरी सम्पत्ति कर असूल गर्न बाधा पर्नेछैन।

(४) भवनको नक्सा स्वीकृत भएको मितिले दुई वर्षसम्म र म्याद थप भएको अवधिको सम्पत्ति कर लाग्नेछैन।

तर निर्माण अवधिभन्दा अगावै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएमा वा भवन प्रयोगमा ल्याएमा सोही अवधिदेखि सम्पत्ति कर लाग्नेछ।

(५) देहायको घर र घरजग्गामा सम्पत्ति कर लाग्ने छैन:-

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा,

(ख) सरकारी अस्पतालको घर र घरजग्गा,

- (ग) गुठीको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा,
- (घ) मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गरिएको सरकारी शिक्षण संस्था, कम्पनी, समिति, प्राधिकरण, बोर्ड र सरकारी संस्थानको घर र घरजग्गा,
- (ङ) मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका संघ, संस्थाको घर र घरजग्गा,
- (च) धार्मिक संस्था (मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद आदि) को नाममा भएको घर र घरजग्गा,
- (छ) खानेपानी सङ्कलन पोखरी, विद्युतगृह, मसानघाट, कब्रिस्तान, कर्वला, मजार, विमानस्थल, बसपार्क, रंगशाला, उद्यान, पार्क जस्ता सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरू,
- (ज) राजदूतावास, वाणिज्य नियोग, कुटनैतिक नियोगका घर र घरजग्गामा ।

यस उपदफा बमोजिम कर नलाग्ने भनी उल्लेख भएको भौतिक संरचनाको आंशिक वा पुरै भाग व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको भए उक्त प्रयोग भएको क्षेत्रले चर्चेको क्षेत्रफलको सम्पत्ति कर, बहाल कर र अन्य कर तथा शुल्क यस ऐन बमोजिम अशुल गरिनेछ ।

तर, प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका यस्ता भौतिक संरचनाको हकमा कुनै प्रकारको छुट हुनेछैन ।

माथि जुनसुकै कुरा उल्लेख भएता पनि उपरोक्त प्रकृतिका घर र घरजग्गाको सम्पत्ति कर बुझाउनका लागि सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थाबाट अनुरोध भई आएमा यसै ऐन बमोजिम सम्पत्ति कर अशुल गर्न कुनै बाधा पर्नेछैन ।

(६) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति/संस्थाको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा जग्गा बहालमा लिई निर्माण भएको घर, टहरा, सेड आदिलाई सम्पत्ति कर प्रयोजनको लागि मुल्याङ्कन गरी कर निर्धारण गरिनेछ ।

स्वबासी घरजग्गा र घरनक्सा स्वीकृत प्राप्त गर्न नसकेका निर्मित भवनको हकमा सम्बन्धितको स्व-घोषणाको आधारमा उल्लिखित मिति देखि नै सम्पत्ति कर लिन बाधा पर्नेछैन।

(७) सम्पत्ति कर तिर्ने दायित्व सम्पत्ति धनीको हुनेछ, तर व्यवसायिक प्रयोजनको लागि भएमा करारनामामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(८) नगरपालिका क्षेत्रभित्रका करदाताहरूले आफ्नो घर, जग्गा थपघट भएमा वा बिक्री भएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

(९) संयुक्त तथा सामूहिक आवासको सम्पत्ति कर निर्धारण देहायअनुसार हुनेछ :

(क) बहु तले सामूहिक आवास (अपार्टमेन्ट वा फल्याट) वा संयुक्त आवास (हाउजिङ्ग) वा कुनै घरको विभिन्न तल्लाहरू वा एकै तल्लामा पृथक-पृथक स्वामित्व रहेकोमा त्यस्तो पृथक-पृथक स्वामित्व भएका भागहरू वा तल्लाहरूको सम्पत्ति कर सम्बन्धित स्वामित्ववाला व्यक्तिहरूको नाममा देहाय बमोजिम निर्धारण गरी असूल उपर गरिनेछ:-

(अ) बहु तले सामूहिक आवास (अपार्टमेन्ट वा फल्याट) को हकमा जे जति क्षेत्रफलको अपार्टमेन्ट वा फल्याट राजीनामा वा स्वामित्व हस्तान्तरणको लिखत पारित गरी हक हस्तान्तरण भएको छ सोही बराबर घर (अपार्टमेन्ट वा फल्याट) को क्षेत्रफल मानी कर निर्धारण गरिनेछ।

(आ) बहु तले सामूहिक आवास (अपार्टमेन्ट वा फल्याट) को जग्गामा स्थायी वा अस्थायी रूपमा अन्य प्रयोजनको लागि संरचना बनेको भए उल्लेख भए बमोजिम कर लाग्नेछ।

(इ) संयुक्त आवास (हाउजिङ्ग) को जग्गाको क्षेत्रफलको हकमा



राजीनामा वा हक हस्तान्तरणको लिखतमा उल्लेख भए बराबरको जग्गाको क्षेत्रफल कायम गरिनेछ।

- (ख) व्यावसायिक प्रयोजनको लागि निर्माण गरी बिक्री भएको मल/सपिङ्ग कम्प्लेक्स/सपिङ्ग सेन्टर आदि मा खरिद बिक्री हुने पसल, कोठा तलाको हकमा समेत माथि खण्ड (क) बमोजिम कर निर्धारण गरिनेछ।
- (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिई निर्माण भएका संयुक्त आवास/सामुहिक आवास (अपार्टमेन्ट/हाउजिङ) मा सामुहिक उपभोगमा रहने क्षेत्रहरू (बेसमेन्ट, बगैँचा, पार्किङ, सडकक्षेत्र) को स्वामित्व सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण भईसकेपछि सोको दायित्व सोही समितिले नै लिनुपर्ने हुदाँ उक्त क्षेत्रहरूमा सम्पत्तिकर लगाइने छैन। तर निर्मित अन्य संरचनाहरू जस्तै: सामुदायिक भवन, स्विमिङ पुल, स्टोर, पुस्तकालय, जिम हल, क्लब हाउस, डिपार्टमेन्टल स्टोर आदिको व्यावसायिक प्रयोजन भएमा सोको सम्पत्ति कर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिले बुझाउनु पर्नेछ।

(१०) संवत् २०८२ साल भाद्र महिनाको जेन-जी (Zen-Z) आन्दोलनको क्रममा पूर्ण रुपमा क्षती भई प्रयोग विहिन भएका घर संरचना तथा सम्पत्तिमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ को सम्पत्ति कर शत प्रतिशत छुट हुनेछ। उल्लेखित संरचना पुनः निर्माण भई सञ्चालनमा आएमा तोकिएको अवधि पश्चात भने प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति कर लाग्नेछ। तर कूल जग्गाको क्षेत्रफलमा भूमिकर (मालपोत) भने यस ऐन बमोजिम असूल गर्न बाधा पर्नेछैन।

(११) लिज सम्झौता बमोजिमको सम्पत्तिमा देहाय अनुसार कर लाग्नेछ :

- (क) कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा जग्गाको स्वामित्व भई अर्को व्यक्ति वा संस्थाले भवन वा अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण,

विकास र सम्बर्द्धन गरी भोग गरेको भए त्यस्तो सम्पत्तिको नियमानुसार लाग्ने सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने दायित्व निजहरुबीच भएको सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ। यदि सम्झौतामा स्पष्ट प्रावधान उल्लेख नगरिएको भएमा सम्पत्तिको भोग गर्ने वा लिजमा लिने व्यक्ति वा संस्थाले उल्लेखित बमोजिमको कर दाखिला गर्नुपर्ने छ।

(ख) माथि खण्ड (क) बमोजिमको लिज सम्झौता भङ्ग भएमा वा कार्यान्वयन नभई सम्झौताको यथार्थ परिपालना नगरिएको अवस्थामा सम्पत्ति कर तिर्ने दायित्व सम्बन्धित जग्गाधनीको हुनेछ।

३. **भूमिकर :** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र दफा २ बमोजिम सम्पत्ति कर लाग्ने बाहेकका अन्य जग्गामा अनुसूची (२) मा उल्लेख भए बमोजिमको दरमा भूमिकर (मालपोत) लगाइने र असूल गरिनेछ।

(२) आर्थिक वर्ष २०७२/७३देखि ०८२/८३ सम्मको भूमिकर (मालपोत) तत् तत् आर्थिक वर्षको दररेटमा जरिवाना सहित कर निर्धारण गरी असूल गरिने छ। तर आ.व.२०७२/७३ भन्दा अघिल्ला वर्षहरुको हकमा यस ऐन बमोजिमको दररेटमा कर निर्धारण गरी असूल गर्न बाधा पर्ने छैन।

४. **बहाल कर :** (१) चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, कम्प्लेक्स, टहरा, छप्पर, सेड, जग्गा वा पोखरी, सवारी साधन, यन्त्र वा उपकरण पूरै वा आंशिक तवरले बहाल वा भाडामा लगाई प्राप्त बहाल रकममा अनुसूची -३ बमोजिम बहाल कर लगाई असूल गरिनेछ।

(२) बहाल कर प्रयोजनका लागि नगरकार्यपालिकाले क्षेत्र विभाजन गरी न्यूनतम बहाल रकम निर्धारण गर्न सक्नेछ। तोकिएको रकम भन्दा बढीमा बहाल सम्झौता गर्न भने यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। यस उपदफा बमोजिम बहाल कर निर्धारण गर्दा

न्यूनतम बहाल रकम वा सम्झौता रकम मध्ये जुन अधिक हुन्छ सोही रकमलाई आधार मानी बहाल कर निर्धारण गरिनेछ ।

(३) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा दिएको घर जग्गाको कानून बमोजिम लाग्ने बहाल कर बुझाउनु पर्ने दायित्व घर जग्गाधनीको हुनेछ । सम्झौतामा बहाल कर बहालमा बस्नेले बुझाउने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा समेत बहाल कर दाखिला गराउने अन्तिम दायित्व सम्बन्धित घर जग्गाधनीको हुनेछ ।

(४) घरजग्गा धनीसँग सम्झौता गरी बहालमा लिएको स्थानको बहाल कर घर/घरजग्गाधनी र दोस्रो पक्ष बीच भएको सम्झौतामा उपदफा (१) बमोजिमको बहाल कर लाग्नेछ । तर दोस्रो पक्षले उक्त घर वा जग्गा तेस्रो पक्षलाई बहालमा दिएमा उक्त दोस्रो पक्ष र तेस्रो पक्ष बीचको सम्झौतामा अघिल्लो सम्झौतामा भन्दा थप भएको बढी रकममा बहाल रकम लाग्नेछ । यसै क्रममा अन्य पक्षसँग सम्झौता भएमा पनि बहाल कर सोही बमोजिम लाग्नेछ ।

(५) नगरपालिका क्षेत्रभित्रका करदाताहरूले आफ्नो बहाल आयमा थपघट भएमा वा बहालमा नलागेको छोडेको अवस्थामा अथवा सम्झौता अवधि भन्दा अगाडि करारनामा तोडेमा सो भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सोको विवरण एवं जानकारी अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ । सो अवधि भित्र जानकारी नगराएमा वा विवरण पेश नगरेमा सो सम्बन्धी निवेदन पेश भएको मिति सम्मको साविक बमोजिमकै बहाल करको दर अथवा सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नियमानुसारको बहाल कर बुझाउनु पर्नेछ ।

(६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि घर जग्गा बहाल कर चालु आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्नेछ । घर जग्गा बहाल कर चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक वा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम बुझाउन सकिनेछ ।

(७) घरजग्गा बहाल बापतको आयस्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने भएमा कम्तीमा ३ महिनाको बहाल कर चुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ।

(८) कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको भवनमा सोही कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन गरेमा बाहेक कम्पनीको सञ्चालक वा अन्य कुनै प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिको स्वामित्वमा भएमा बहाल कर बुझाउनु पर्नेछ।

(९) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा दिएको घरको कानून बमोजिम लाग्ने बहाल कर नगरपालिकामा बुझाउने दायित्व घरधनीको हुनेछ।

(१०) नगरपालिका क्षेत्र भित्र बहालमा रहेका घर संरचना वा जग्गामा आ.व. २०७४/७५ लाई आधार वर्ष मानी कर निर्धारण गरी बहाल कर असूल गरिनेछ। तर कुनै व्यक्ति, संस्था कम्पनी, फर्मले उल्लेखित आधार वर्ष भन्दा अधिका आर्थिक वर्षहरूको समेत स्व घोषणा गरी बहाल सम्झौताको आधारमा बहालकर बुझाउन चाहेमा बहालकर असूल गर्न बाधा पर्नेछैन।

५. **व्यवसाय कर** : (१) चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता वा इजाजत प्राप्त गरी स्थापित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा र यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारोबार गर्ने व्यक्ति, संघसंस्था, कम्पनी वा निकायलाई व्यवसायको प्रकृति, आर्थिक कारोबार, स्थान विशेष र लगानीका आधारमा अनुसूची -४ बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असूल गरिनेछ।

(२) २०७२ साल भन्दा अगाडि अन्य सरकारी निकायमा दर्ता भई यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भइरहेको व्यवसाय/संघ संस्था दर्ता/नवीकरण/सूचीकरण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ लाई आधार वर्ष मानी सोही आ.व.देखि व्यवसाय दर्ता/सूचीकरण गरी व्यवसाय कर लिइनेछ।

(३) उद्योग, ग्लिल, फर्निचर व्यवसाय, वर्कसप, कवाडी व्यवसाय, पशुपन्छी पालन जस्ता मानव तथा वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने

व्यवसायहरूलाई सम्बन्धित वडाको रोहवरमा स्थलगत सर्जिमिन मुचुल्का गराई मात्र व्यवसाय दर्ता गरिनेछ।

(४) कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय, वा संघसंस्था बहालको घर वा जग्गामा सञ्चालन भएको अवस्थामा, सो व्यवसायको दर्ता वा नवीकरण गर्दा सम्बन्धित घरधनीले सम्पत्ति कर तथा भूमिकर चुक्ता गरेको रसिदको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। आफ्नै घरमा व्यवसाय सञ्चालन भएको अवस्थामा सम्पत्ति कर चुक्ता भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ।

तर स्वबासी घरजग्गा, घर नक्सा स्वीकृति प्राप्त गर्न नसकेका घरमा सञ्चालित व्यवसायका हकमा घरधनी तथा व्यवसायीले सम्पत्ति कर बुझाएको प्रमाण पेश गर्न नसकेता पनि वडा कार्यालयले सर्जिमिन गरी यस ऐन बमोजिमको दररेटमा चालु आर्थिक वर्ष र गत विगत आर्थिक वर्षहरूको व्यवसाय कर तथा बहाल कर लिन सक्नेछ।

(५) करदाताले आफ्नो व्यवसाय नरहेको वा बन्द भएको अवस्थामा ३५ दिन भित्र वा चालु आ.व.(व्यवसाय नरहेको वा बन्द गरेको आ.व.) समाप्त हुनु अगावै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सोको जानकारी तथा विवरण अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ। सो अवधिभित्र विवरण पेश हुन नआएमा पूरै अवधिको कर लाग्नेछ।

(६) व्यवसाय कर असूल गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सुपरमार्केटहरूको हकमा प्रत्येक कारोवार स्थलमा कारोवारको आधारमा अलग अलग ईकाइ मानी असूल गरिनेछ।

(७) कुनै व्यक्ति संस्था कम्पनी वा फर्मले आफ्नो पसल व्यवसायको पहिचान वा परिचयको लागि आफ्नो व्यवसाय वा कार्यालय संचालन हुने स्थानमा बढीमा ३० वर्गफिट सम्मको बोर्डलाई निशुल्क परिचय पार्टीको रूपमा राख्न दिईनेछ। सो भन्दा माथिको बोर्ड भएमा दफा ८ बमोजिम विज्ञापन मानी विज्ञापन कर असूल गरिनेछ।

(८) व्यवसाय दर्ता भएको तर कारोवार संचालन नगरी बसेका वा शून्य कारोवार भएका व्यवसाय बन्द गर्न चाहेमा पछिल्लो अन्तिम आ.व.को व्यवसाय कर तिरी व्यवसाय बन्द गर्न सक्नेछ।

६. **जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर** : चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनपैदावार, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेबापत अनुसूची -५ बमोजिमको कर लगाई असूल गरिनेछ।
७. **सवारी साधन कर** : सवारी साधन कर बागमती प्रदेश सरकारबाट निर्धारण र संकलन गरी प्रदेश कानून बमोजिम बाँडफाँडबाट प्राप्त भएबमोजिम हुनेछ।
८. **विज्ञापन कर** : (१) चन्द्रागिरि नगरपालिकाक्षेत्र भित्र सार्वजनिक स्थानबाट देखिने गरी भवन भित्र वा बाहिर र जग्गामा हुने विज्ञापन वा प्रचार प्रसारसम्बन्धी सामग्री, श्रव्य, दृश्य, स्टिकर, वेलुन र यस्तै प्रकृतिको विज्ञापनमा अनुसूची -६ बमोजिम विज्ञापन कर लिइनेछ।  
(२) चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सार्वजनिक स्थान विद्युतीय पोल, रोड, डिभाईडर सडक पेटीमा अनधिकृत रूपमा राखिएका जुनसुकै प्रकारका व्यवसायिक विज्ञापन सामग्रीहरू हटाईनेछ।
९. **मनोरञ्जन कर** : चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका मनोरञ्जन व्यवसायमा प्रदेश सरकारले तोके अनुसार अनुसूची - ७ बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाई असूल गरिनेछ।
१०. **बहाल बिटौरी शुल्क** : चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका वा सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ति जग्गा, सडक वा भवन, निजी जग्गा वा भवनमा घुम्ती हाटबजार वा रात्रीबजार वा विशेष मेलापर्वमा अनुसूची -८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम बहाल बिटौरी शुल्क लगाई असूल गरिनेछ।

**११. सवारी साधन पार्किङ्ग शुल्क :** (१) चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची -९ बमोजिम सवारी साधन पार्किङ्ग शुल्क लगाई असूल गरिनेछ।

(२) निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले यस नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिई पार्किङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि नगरपालिका क्षेत्रभित्र अन्य सम्भावित स्थानहरू पहिचान गरी फुटपाथ बाहेकका स्थानमा सवारी आवागमनमा अवरोध नहुने गरी तोकिएको मापदण्ड बमोजिम पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

**१२. सेवा शुल्क दस्तुर :** चन्द्रागिरि नगरपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची -१० मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम शुल्क लगाई असूल गरिनेछ।

**१३. प्राईभेट/साझेदारी फर्म दर्ता तथा नवीकरण :** (१) चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्र भित्र संचालित पाँच लाख रुपैयाँ सम्म पूँजी भएका उद्योग व्यापार व्यवसायले व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा बागमती प्रदेशको प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६ ले तोकेको शुल्क लिई प्राईभेट साझेदारी फर्म दर्ता वा नवीकरण गरिनेछ।

**१४. जरिवाना :** (१) यस नगरपालिकामा आ.व. २०८२/०८३ सम्मको बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति कर, भूमिकर(मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर र विज्ञापन करको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकममा १०(दश) प्रतिशत जरिवाना चालु आ.व. २०८३/०८४ श्रावण १ गते देखिनै लाग्नेछ। मनोरञ्जन करका सम्बन्धमा प्रदेश कानून बमोजिम जरिवाना हुनेछ।

(२) यस ऐनमा तोकिएको विषयमा बाहेक अन्य विषयमा लाग्ने दण्ड जरिवाना छुट हुनेछैन।

(३) अन्यको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

(४) यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र नगरपालिकाले अनुमति प्रदान नगरेका स्थलमा व्यक्ति वा सवारी साधन प्रवेश गरेमा र निषेध गरिएका सार्वजनिक सडक तथा फुटपाथमा सवारी साधन पार्किङ्ग वा व्यापार व्यवसाय वा फोहरमैला गर्ने तथा प्रचलित कानूनविपरीतका कार्य गर्नेलाई अनुसूची -११ बमोजिम जरिवाना लगाई असूल उपर गरिनेछ। साथै नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी समय समयमा यस व्यवस्थामा थपघट तथा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ।

१५. **कर छुट** : यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन। कर छुट अनुसूची -१२ बमोजिम हुनेछ।

१६. **कर तथा शुल्क सङ्कलन कार्यविधि** : यस ऐनमा भएको व्यवस्था यसै बमोजिम र अन्यका हकमा यस ऐनसँग नबाझिने गरी चन्द्रागिरि नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाले तोकेबमोजिम हुनेछ।

१७. **बाधा अड्काउ फुकाउ** : यस ऐन कार्यान्वयनको क्रममा कुनै बाधा आइपरेमा चन्द्रागिरि नगरपालिका, नगर कार्यपालिकालाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार हुनेछ।

१८. **अन्य व्यवस्था** : (१) बढी कर रकम फिर्ता सम्बन्धी : करदाताले यस ऐन बमोजिम कर बुझाउँदा तिर्नुपर्ने भन्दा बढी कर दाखिला गरेमा बढी दाखिला भएको रकम फिर्ता माग गर्न सक्नेछ। यसरी बढी दाखिला भएको रकम फिर्ता माग गर्दा दाखिला गरेको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ। सोको व्यहोरा साँचो देखिएमा नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट रकम फिर्ता दिने निर्णय गराई स्वीकृत बजेटबाट बढी भएको राजस्व फिर्ता भुक्तानी दिन सकिनेछ।

(२) सिफारिस सम्बन्धी : नगरपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरूले सिफारिस गर्दा नागरिकता, पञ्जीकरण जस्ता मौलिक हक अन्तर्गतका सेवाहरू तथा स्वास्थ्य उपचार, छात्रवृत्ति सम्बन्धी र



आकस्मिक विपद् सम्बन्धी सिफारिस बाहेक अन्य सिफारिस गर्दा कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश भए पछि मात्र सिफारिस दिइनेछ।

१९. **नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने** : चन्द्रागिरि नगरपालिका नगर कार्यपालिकाले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधिहरू बनाउन सक्नेछ।
२०. **साबिक बमोजिम हुने** : यस ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था यसै बमोजिम र उल्लेख नभएको हकमा साबिक बमोजिम हुनेछ।
२१. **खारेजी** : चन्द्रागिरि नगरपालिकाले जारी गरेका अन्य कानूनहरूको व्यवस्था यस ऐनसँग प्रतिकूल देखिएमा प्रतिकूल भएको हदसम्म खारेज हुनेछ।

**अनुसूची -१ (क)**  
**(दफा २ सँग सम्बन्धित)**  
**सम्पत्ति करको दर**

| १. | सम्पत्ति करको दर                     |                |
|----|--------------------------------------|----------------|
|    | विवरण                                | दर रु.         |
|    | पहिलो ३० लाख सम्मको मूल्याङ्कनमा     | ४००।-(एकमुष्ट) |
|    | त्यस पछिको थप ५० लाख सम्ममा          | ०.०५ प्रतिशत   |
|    | त्यस पछिको थप ७० लाख सम्ममा          | ०.१ प्रतिशत    |
|    | त्यस पछिका थप १ करोड सम्ममा          | ०.२ प्रतिशत    |
|    | त्यस पछिको जतिसुकै रुपैयाँ थप भए पनि | ०.३ प्रतिशत    |

- दफा (२) को प्रयोजनका लागि घर जग्गा कर/ सम्पत्ती कर लगाउदा घर र सो घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ती कर लगाई बाँकी जग्गा र घर नभएका अन्य जग्गामा मालपोत (भूमीकर) लगाईनेछ ।

## अनुसूची -१ (ख) (दफा २ सँग सम्बन्धित)

### सम्पत्ति कर निर्धारण प्रयोजनार्थ न्यूनतम मूल्याङ्कन

(सम्पत्ति कर प्रयोजनका लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन जग्गा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि भूमि प्रशासन कार्यालयले निर्धारण गरेको देहायको मूल्यालाई आधार मानिनेछ। )

(क) चन्द्रागिरि नगरपालिका अन्तर्गत

| क्र.सं. | विवरण                                                       | प्रति आना रु. |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| १       | नागदुङ्गा सुरुङमार्गले छुने दायौँबायाँको जग्गा प्रति आना    | २६,००,०००।-   |
| २       | चेकपोष्ट पानीघाट सडकको दायौँबायाँ                           | १७,६०,०००।-   |
| ३       | सतुंगल मातार्तिथ देउराली कुलेखानी सडकको दायौँबायाँ          | १७,६०,०००।-   |
| ४       | गुर्जधारा बलम्बु सिर्जनाचोक सडकको दायौँबायाँ                | १६,५०,०००।-   |
| ५       | तिनथाना विष्णुदेवी हुँदै मच्छेनारायण पक्की सडकको दायौँबायाँ | १६,५०,०००।-   |

(ख) चन्द्रागिरि न.पा. १५ (साबिक तीनथाना गा.वि.स.)

| क्र.सं. | विवरण                               | प्रति आना रु. |
|---------|-------------------------------------|---------------|
| १       | त्रिभुवन राजपथले छोएको दायौँबायाँ   | २६,००,०००।-   |
| २       | तीनथाना विष्णुदेवी सडकको दायौँबायाँ | १६,५०,०००।-   |
| ३       | पक्की सडक                           | १२,००,०००।-   |
| ४       | कच्ची सडक                           | ८,८०,०००।     |
| ५       | गोरेटो बाटो                         | ५,००,०००।-    |
| ६       | बाटो नभएको                          | २,५०,०००।     |

(ग) चन्द्रागिरि न.पा. १४ (साविक नयाँ नैकाप गा.वि.स.)

| क्र.सं. | विवरण                             | प्रति आना रु. |
|---------|-----------------------------------|---------------|
| १       | त्रिभुवन राजपथले छोएको दायौँबायाँ | २६,००,०००।-   |
| २       | पक्की सडक                         | १२,००,०००।    |
| ३       | कच्ची सडक                         | ८,८०,०००।-    |
| ४       | गोरेटो बाटो                       | ६,००,०००।-    |
| ५       | बाटो नभएको                        | २,५०,०००।-    |

(घ) चन्द्रागिरि न.पा. १३ (साविक नैकाप पुरानो भन्ज्याङ गा.वि.स.)

| क्र.सं. | विवरण                                                     | प्रति आना रु. |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| १       | ध्याम्पेडोल बाडभन्ज्याङ/मितेरी मार्ग/थापा गाउँ/कंकाली सडक | ११,००,०००।-   |
| २       | पक्की सडक                                                 | ८,२५,०००।-    |
| ३       | कच्ची सडक                                                 | ६,००,०००।-    |
| ४       | गोरेटो बाटो                                               | ४,००,०००।-    |
| ५       | बाटो नभएको                                                | १,५०,०००।-    |

(ङ) चन्द्रागिरि न.पा. १२ (साविक बलम्बु गा.वि.स.)

| क्र.सं. | विवरण                  | प्रति आना रु. |
|---------|------------------------|---------------|
| १       | त्रिभूवन राजपथले छोएको | २६,००,०००।-   |
| २       | पक्की सडक              | ९,९०,०००।-    |
| ३       | कच्ची सडक              | ७,७०,०००।-    |
| ४       | गोरेटो बाटो            | ४,४०,०००।-    |
| ५       | बाटो नभएको             | २,००,०००।-    |

(च) चन्द्रागिरि न.पा. १० र ११ (साबिक सतुंगल गा.वि.स.)

| क्र.सं. | विवरण                                    | प्रति आना रु. |
|---------|------------------------------------------|---------------|
| १       | त्रिभूवन राजपथले छोएको दायौँबायाँ        | २६,००,०००।-   |
| २       | सिप्रदी बोसीगाउँ खुसीखुसी सडक दायौँबायाँ | १४,००,०००।-   |
| ३       | सतुंगल चोकबाट कंचनवस्ती गेटसम्म          | १६,५०,०००।-   |
| ४       | पक्की सडक                                | १२,००,०००।-   |
| ५       | कच्ची सडक                                | ८,८०,०००।-    |
| ६       | गोरेटो बाटो                              | ४,९५,०००।-    |
| ७       | बाटो नभएको                               | २,२०,०००।-    |

(छ) चन्द्रागिरि न.पा. ९ (साबिक मच्छेगाउँ गा.वि.स. वडा नं १,९,८ र ७ड मात्र)

| क्र.सं. | विवरण                                                                                          | प्रति आना रु. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| १       | तीनथाना वडा कार्यालयदेखि विष्णुदेवी हुँदै मच्छेनारायण गेटसम्मको पक्की सडक                      | १६,५०,०००।-   |
| २       | मच्छेनारायण गेटदेखि पश्चिम मातातीर्थ खुसीखुसी चोकसम्मको पक्की सडक                              | ८,८०,०००।-    |
| ३       | खुसीखुसी चोकबाट दक्षिणतर्फ हुँदै सुनार गाउँ हुँदै पिपलको बोट कीर्तिपुर निस्कने बाटो सम्मको सडक | ८,००,०००।-    |
| ४       | पक्की सडक                                                                                      | ८,००,०००।-    |
| ५       | कच्ची सडक                                                                                      | ६,००,०००।-    |
| ६       | गोरेटो बाटो                                                                                    | ३,००,०००।-    |
| ७       | बाटो नभएको                                                                                     | १,५०,०००।-    |

(ज) चन्द्रागिरि न.पा. ८ (साविक मातातीर्थ गा.वि.स.)

| क्र.सं. | विवरण       | प्रति आना रु. |
|---------|-------------|---------------|
| १       | पक्की सडक   | १०,००,०००।-   |
| २       | कच्ची सडक   | ७,००,०००।-    |
| ३       | गोरेटो बाटो | ३,००,०००।-    |
| ४       | बाटो नभएको  | १,५०,०००।-    |

(झ) चन्द्रागिरि न.पा. ५, ६ र ७ (साविक थानकोट महादेवस्थान गा.वि.स.)

| क्र.सं. | विवरण                             | प्रति आना रु. |
|---------|-----------------------------------|---------------|
| १       | त्रिभूवन राजपथले छोएको दायौँबायाँ | २६,००,०००।-   |
| २       | पक्की सडक                         | १०,४०,०००।-   |
| ३       | कच्ची सडक                         | ७,७०,०००।-    |
| ४       | गोरेटो बाटो                       | ४,४०,०००।-    |
| ५       | बाटो नभएको                        | २,५०,०००।-    |

(ञ) चन्द्रागिरि न.पा. ३ र ४ (साविक थानकोट गा.वि.स.)

| क्र.सं. | विवरण                             | प्रति आना रु. |
|---------|-----------------------------------|---------------|
| १       | त्रिभूवन राजपथले छोएको दायौँबायाँ | २६,००,०००।-   |
| २       | पक्की सडक                         | ९,९०,०००।-    |
| ३       | कच्ची सडक                         | ७,७०,०००।-    |
| ४       | गोरेटो बाटो                       | ४,४०,०००।-    |
| ५       | बाटो नभएको                        | २,५०,०००।-    |

(ट) चन्द्रागिरि न.पा. २ (साविक बाडभन्ज्याङ गा.वि.स.)

| क्र.सं. | विवरण                                                                     | प्रति आना रु. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| १       | त्रिभूवन राजपथले छोएको नागदुङ्गासम्म सडक दायौँबायाँ                       | १५,००,०००।-   |
| २       | त्रिभूवन राजपथले छोएको नागदुङ्गादेखि पिप्लामोड सिस्ने खोला सडक दायौँबायाँ | १३,००,०००।-   |
| ३       | घ्याम्पेडोल बाडभन्ज्याङ सडक                                               | १०,००,०००।-   |
| ४       | पक्की सडक                                                                 | ६,००,०००।-    |
| ५       | कच्ची सडक                                                                 | ४,००,०००।-    |
| ६       | गोरेटो बाटो                                                               | १,५०,०००।-    |
| ७       | बाटो नभएको                                                                | १,००,०००।-    |

(ठ) चन्द्रागिरि न.पा. १ (साविक दहचोक गा.वि.स.)

| क्र. सं. | विवरण                           | प्रति आना रु. |
|----------|---------------------------------|---------------|
| १        | घ्याम्पेडोल बाडभन्ज्याङ मूल सडक | ११,००,०००।-   |
| २        | पक्की सडक                       | ८,२५,०००।-    |
| ३        | कच्ची सडक                       | ६,००,०००।-    |
| ४        | गोरेटो बाटो                     | ३,००,०००।-    |
| ५        | बाटो नभएको                      | १,५०,०००।-    |

स्पष्टिकरण: नगरपालिकाले सम्पत्ति कर निर्धारण प्रयोजनका लागि बाटोका आधारमा जग्गाको मूल्य कायम गरिनेछ र सोही अनुसार कर निर्धारण हुनेछ। एकभन्दा बढी बाटोले छोएको घरजग्गाको हकमा सबैभन्दा ठूलो बाटोलाई आधार लिई जग्गाको मूल्य कायम गरी कर निर्धारण गरिनेछ।

**अनुसूची -१ (ग)**  
**(दफा २ सँग सम्बन्धित)**  
**सम्पत्ति कर लागने क्षेत्रहरूको घरको बनोटको वर्गीकरण, मूल्याङ्कन तथा**  
**हासकट्टी**

| सम्पत्ति कर लागने क्षेत्रहरूको घरको बनोटको वर्गीकरण, मूल्याङ्कन तथा हासकट्टी |                                                                                                                                                                              |                            |                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| क्र. सं.                                                                     | घरको बनोटको वर्गीकरण                                                                                                                                                         | औसत लागत दर प्रति वर्ग फुट | हासकट्टी प्रतिशतमा | कट्टी गर्ने जम्मा वर्ष |
| (क)                                                                          | भिन्न काँचो बाहिर पाको इट्टामा माटोको जोडाई भएको वा काठैकाठबाट बनेको र जस्ता, झिगटी, टायल, एसबेस्टसको छाना भएको घर                                                           | १,०००।-                    | ३.००               | २५                     |
| (ख)                                                                          | भिन्न बाहिर पाको इट्टा वा दुङ्गामा माटोको जोडाई भई भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर गरी छाना ढलान (आर.सी.सी. वा आर.वि.सी.) गरिएको वा जस्ता, टायल, झिगटी, एसबेस्टसको छाना भएको घर | १,२००।-                    | २.००               | ३०                     |
| (ग)                                                                          | भिन्न बाहिर पाको इट्टा वा दुङ्गामा सिमेन्ट प्लास्टर गरी छाना ढलान (आर.सी.सी. वा आर.वि.सी.) गरिएको घर                                                                         | १,३५०।-                    | १.००               | ७०                     |
| (घ)                                                                          | आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चरमा भएको घर                                                                                                                                          | १,८००।-                    | ०.७५               | १००                    |
| (ङ)                                                                          | स्टिल फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रिडिङ ट्रेस, फाइबर वा यस्तै संरचना                                                                                                                  | १,५७५।-                    | ०.७५               | १००                    |

**द्रष्टव्य :-**

- टुटफुट कट्टीको हिसाव गर्दा घट्टो मूल्यको आधारमा गरिनेछ।
- सम्पत्ति कर (घरजग्गा कर) लागने क्षेत्रहरूको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि भूमि प्रशासन कार्यालयले तोकेको दर बमोजिम मूल्याङ्कन गरिनेछ।
- हास कट्टीको समय समाप्त भई सकेपछिको घरजग्गाको सम्पत्ति कर अन्तिम मूल्याङ्कन रकममा तोके बमोजिम कर लाग्नेछ।
- सम्पत्ति कर लगाएका घरजग्गामा भूमिकर लाग्ने छैन।



**अनुसूची -२**  
**(दफा ३ सँग सम्बन्धित)**  
**भूमि कर (मालपोत)**

| क्र.सं.           | जग्गाको वर्ग विवरण | दररेट रु. |
|-------------------|--------------------|-----------|
| १                 | न्यूनतम(५ आनासम्म) | १००।-     |
| त्यसपछि प्रति आना |                    |           |
| २                 | क वर्ग             | १६।-      |
| ३                 | ख वर्ग             | १४।-      |
| ४                 | ग वर्ग             | १२।-      |
| ५                 | घ वर्ग             | १०।-      |
| ६                 | ड वर्ग             | ८।-       |

| वर्ग | विभाजित क्षेत्रहरु                              |
|------|-------------------------------------------------|
| क    | कलंकी नागढुङ्गा मुल सडक/सुरुङ मार्गले छोएको सडक |
| ख    | पक्की सडक                                       |
| ग    | कच्ची सडक                                       |
| घ    | गोरेटो बाटो                                     |
| ड    | बाटो नभएको                                      |

**अनुसूची -३**  
**(दफा ४ सँग सम्बन्धित)**  
**घर जग्गा बहाल कर**

| क्र. सं. | विवरण                                                                                                                  | वर्गीकरण                                                          | दर रु.     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| १        | नगर क्षेत्र भित्रका घर,पसल, ग्यारेज, गोदाम,कम्प्लेक्स, टहरा, सेड, कारखाना, जग्गा, पोखरी, सवारी साधन, यन्त्र उपकरण आदि। | क. संघ, संस्था, कार्यालय, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय प्रयोजनको लागि | १० प्रतिशत |
|          |                                                                                                                        | ख. आवासीय प्रयोजनको लागि                                          | ३ प्रतिशत  |
|          |                                                                                                                        | ग. कृषि प्रयोजनको लागि                                            | १ प्रतिशत  |

**नोट :-**

१. बहाल सम्झौता पत्र अनिवार्य रूपमा वडा कार्यालयमा प्रमाणित गरी राख्नुपर्नेछ।
२. वडा कार्यालयमा नियमानुसार बहाल कर नबुझाएका घरधनीको बहालमा रहेको तालाबन्दी गरिएको कोठा खुलाउनका लागि सेवा शुल्क दस्तुर र थप जरिवाना बापत रु. १,०००। - भुक्तानी गरेपश्चात् मात्र कोठा खुला गरिनेछ।

**अनुसूची -४**  
**(दफा ५ सँग सम्बन्धित)**

**व्यवसाय कर**

व्यवसाय कर पूँजीगत लगानी, आर्थिक कारोबार, व्यवसायको प्रकृति र प्रकारका आधारमा कायम गरिएको दर यस प्रकार रहेको छ।

**(क) व्यापारिक बस्तु**

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                                                                                      | बार्षिक कर रु. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| १       | पेट्रोलियम पदार्थ थोक/खुद्रा बिक्री गर्ने आयल स्टोर वा डिपो                                                                                                                |                |
|         | क श्रेणी (पेट्रोल, डिजेल दुवै)                                                                                                                                             | ३०,०००।-       |
|         | ख श्रेणी (पेट्रोल वा डिजेल मध्य कुनै एकमात्र)                                                                                                                              | २०,०००।-       |
|         | ग श्रेणी (मट्टितेल मात्र बिक्री गर्ने)                                                                                                                                     | ३,०००।-        |
| २       | ग्यास सिलिण्डर                                                                                                                                                             |                |
|         | क श्रेणी (डिष्ट्रिब्युटर)                                                                                                                                                  | ५,०००।-        |
|         | ख श्रेणी (डिलर, खुद्रा पसल)                                                                                                                                                | ३,०००।-        |
| ३       | बिजुली सामान बिक्री गर्ने पसल                                                                                                                                              |                |
|         | क श्रेणी (२० लाखभन्दा माथि)                                                                                                                                                | २,०००।-        |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                                                                                                                      | १,०००।-        |
| ४       | रड, एङ्गल पाइप, पत्ता, सिमेन्ट, जस्ता पाता हार्डवेयर पसल तथा ताला, छेस्कनी, चुकुल, जाली, किलाकाँटा, रडरोगन, एल्म्यूनियम, प्लाष्टिकका सबै खालको (Building Materials) बिक्री |                |
|         | क श्रेणी (५० लाख माथि)                                                                                                                                                     | १५,०००।-       |
|         | ख श्रेणी (२५ लाखदेखि ५० लाखसम्म)                                                                                                                                           | १०,०००।-       |
|         | ग श्रेणी (२५ लाखसम्म)                                                                                                                                                      | ७,०००।-        |

| क्र.सं. | विवरण                                                                                    | वार्षिक कर<br>रु. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ५       | बाथरूम फिटिङ, पाइप, पाइप फिटिङ, टायल, मार्बल, ग्रेनाइट पसल                               |                   |
|         | क श्रेणी (५० लाख माथि)                                                                   | ५०,०००।-          |
|         | ख श्रेणी (२५ लाखदेखि ५० लाखसम्म)                                                         | २०,०००।-          |
|         | ग श्रेणी (२५ लाखसम्म)                                                                    | १५,०००।-          |
| ६       | निर्माण सामाग्री (इट्टा, बालुवा, गिट्टी, रोडा) बिक्री डिपो/<br>सप्लायर्स                 |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                                   | १५,०००।-          |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                                    | १०,०००।-          |
|         | निर्माण सामाग्री (इट्टा, बालुवा, गिट्टी, रोडा) बिक्री सम्पर्क<br>कार्यालय (स्टक नराखेको) | ५,०००।-           |
| ७       | कटिङ ढुङ्गा, छापने ढुङ्गा बिक्री केन्द्र                                                 | ५,०००।-           |
| ८       | पानी फिल्टर तथा सोलार बत्ती सम्बन्धी मेशीन औजार बिक्री                                   |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                                   | ३,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                                                         | २,०००।-           |
|         | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)                                                                    | १,०००।-           |
| ९       | सूर्ती तथा मदिराजन्य व्यवसाय                                                             |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                                   | १५,०००।-          |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                                                         | १०,०००।-          |
|         | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)                                                                    | ५,०००।-           |
|         | घ श्रेणी (पान पसल)                                                                       | १,०००।-           |
| १०      | सुन चाँदी तथा गहना पसल (ज्वेलरी)                                                         |                   |
|         | क श्रेणी (३० लाख माथि)                                                                   | १५,०००।-          |
|         | ख श्रेणी (२० लाखदेखि ३० लाखसम्म)                                                         | १०,०००।-          |
|         | ग श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                                    | ७,०००।-           |
| ११      | प्लेटेड गहना                                                                             | ३,०००।-           |

| क्र.सं. | विवरण                                                    | वार्षिक कर<br>रु. |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| १२      | टमोट, ज्यासल                                             |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                   | १,५००।-           |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                    | १,०००।-           |
| १३      | बेल्लिङ्ग र ग्लिलपसल                                     |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                   | ५,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                         | ४,०००।-           |
|         | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)                                    | ३,०००।-           |
| १४      | टूस, आल्मोनियम फ्रेम आदि बनाउने पसल                      |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                   | १०,०००।-          |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                         | ६,०००।-           |
|         | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)                                    | ४,०००।-           |
| १५      | स्टिल, आल्मोनियम, तामा, पित्तल, प्लाष्टिक, भाडाकुँडा पसल |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                   | ५,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                    | ३,०००।-           |
| १६      | सेरामिक्स पसल                                            |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                   | १,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                    | ५००।-             |
| १७      | ह्यान्डीक्राफ्ट (पस्मिना, थान्का, गलैचा, बुटीक)          |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                   | ५,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                         | ३,०००।-           |
|         | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)                                    | २,०००।-           |
| १८      | हस्तकला तथा क्यूरियो पसल                                 |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                   | ३,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                    | १,५००।-           |
| १९      | फूलमाला सजावट पसल                                        | २,०००।-           |

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                       | वार्षिक कर<br>रु. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| २०      | क्रिस्टल सम्बन्धी व्यवसाय                                                                                   | २,०००।-           |
| २१      | Wallpaper सँग सम्बन्धित व्यवसाय                                                                             | १,५००।-           |
| २२      | कम्प्युटर, टेलिभिजन, रेडियो, मोबाइल, क्यामेरा, घडी, फ्रिज, वासिड मेसिन जस्ता इलेक्ट्रोनिकल सामान बिक्री पसल |                   |
|         | क श्रेणी (कम्प्युटर, टेलिभिजन, फ्रिज, वासिड मेसिन लगायत आदि)                                                | १०,०००।-          |
|         | ख श्रेणी (क्यामेरा, मोबाइल, फोटोग्राफी, भिडियो ग्राफी लगायत आदि)                                            | ८,०००।-           |
|         | ग श्रेणी (रेडियो, घडी लगायत आदि)                                                                            | ५,०००।-           |
| २३      | कलर ल्याब, फोटो स्टुडियो                                                                                    |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                                                      | १,५००।-           |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                                                       | १,०००।-           |
| २४      | साइनबोर्ड, फ्लेक्स, स्ट्याम्प बनाउने, पेन्टिङ्ग, ग्राफिक्स वा स्क्रिन प्रिन्ट                               |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                                                      | ५,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                                                                            | ३,०००।-           |
|         | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)                                                                                       | २,०००।-           |
| २५      | कार्पेट तथा फर्निचिड पसल                                                                                    |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                                                      | १०,०००।-          |
|         | ख श्रेणी (१५ लाखदेखि २० लाखसम्म)                                                                            | ७,०००।-           |
|         | ग श्रेणी (१० लाखदेखि १५ लाखसम्म)                                                                            | ५,०००।-           |
|         | घ श्रेणी (१० लाख सम्म)                                                                                      | ३,०००।-           |
| २६      | सिसा तथा प्लाईउड पसल                                                                                        |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                                                      | १०,०००।-          |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                                                       | ५,०००।-           |

| क्र.सं. | विवरण                                  | वार्षिक कर<br>रु. |
|---------|----------------------------------------|-------------------|
| २७      | स्टिल वा काठको फर्निचर पसल             |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                 | १०,०००।-          |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                  | ५,०००।-           |
| २८      | कार्नेश/फल्स सिलिङ्ग पसल               |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                 | ५,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                  | ३,०००।-           |
| २९      | धान, गहुँ, मसला कुट्नेमिल              |                   |
|         | (क) १५ हर्ष पावरभन्दा माथि             | २,०००।-           |
|         | (ख) ११ देखि १५ हर्ष पावरसम्म           | १,५००।-           |
|         | (ग) १ देखि १० हर्ष पावरसम्म            | १,०००।-           |
| ३०      | राईस/चिउरा मिल                         |                   |
|         | क श्रेणी(१ करोड माथि)                  | ३०,०००।-          |
|         | ख श्रेणी(५० लाख माथि देखि १ करोड सम्म) | २०,०००।-          |
|         | ग श्रेणी(५० लाख सम्म)                  | १०,०००।-          |
| ३१      | खाने तेल मिल                           |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                 | १०,०००।-          |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                  | ७,०००।-           |
| ३२      | डिपार्टमेण्टल स्टोर                    |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                 | २५,०००।-          |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)       | २०,०००।-          |
|         | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)                  | १५,०००।-          |
| ३३      | ग्रोसरी/मार्ट                          |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                 | १०,०००।-          |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                  | ७,०००।-           |

| क्र.सं. | विवरण                                                                                  | वार्षिक कर<br>रु. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ३४      | विविध बस्तुहरूको आयात निर्यात/सप्लायर्स/ विविध बस्तुहरूको गोदाम/<br>बहुउद्देशीय कम्पनी |                   |
|         | क श्रेणी (२ करोड माथि)                                                                 | ५०,०००।-          |
|         | ख श्रेणी (१ करोडदेखि २ करोडसम्म)                                                       | ४०,०००।-          |
|         | ग श्रेणी (५० लाखदेखि १ करोड सम्म)                                                      | ३०,०००।-          |
|         | घ श्रेणी ५० लाखसम्म)                                                                   | २०,०००।-          |
| ३५      | सामान दुवानी कम्पनी                                                                    |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                                 | ५,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                                  | ३,०००।-           |
| ३६      | सैलुन                                                                                  |                   |
|         | क श्रेणी (हेयर कटिङ, ह्यान्सम पार्लर लगायतको<br>सुविधा भएको)                           | ५,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (साधारण सैलुन)                                                                | २,०००।-           |
| ३७      | ब्युटी पार्लर, केश शृङ्गार, कस्मेटिक सामान                                             |                   |
|         | क श्रेणी (ब्युटी पार्लर, केश शृङ्गार, कस्मेटिक<br>सामान समेत)                          | ५,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (पार्लर मात्र)                                                                | ३,०००।-           |
| ३८      | शृङ्गार सामग्री (कस्मेटिक) पसल                                                         |                   |
|         | क श्रेणी (१० लाख माथि)                                                                 | ५,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (१० लाखसम्म)                                                                  | ३,०००।-           |
| ३९      | खेलौना तथा उपहार बिक्रेता                                                              |                   |
|         | क श्रेणी (१० लाख माथि)                                                                 | ३,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (१० लाखसम्म)                                                                  | १,५००।-           |



| क्र.सं. | विवरण                                                                            | वार्षिक कर<br>रु. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ४०      | जुत्ता/चप्पल पसल                                                                 |                   |
|         | क श्रेणी (१० लाख माथि)                                                           | ३,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (१० लाखसम्म)                                                            | २,०००।-           |
| ४१      | बुटिक, रेडिमेड कपडा, फेन्सी पसल, साडी, कुर्ता सुरुवाल, ऊन पसल लगायत आदि बिक्रेता |                   |
|         | क श्रेणी (१० लाख माथि)                                                           | ३,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (१० लाख सम्म)                                                           | २,०००।-           |
| ४२      | सिरक डसना पसल                                                                    | २,०००।-           |
| ४३      | कपडा एण्ड फाईबर स्टोर्स                                                          | ५,०००।-           |
| ४४      | लुगा सिउने मेसिन बिक्री गर्ने पसल                                                | ५,०००।-           |
| ४५      | सियो, धागो, टाँक, इम्ब्रोडरी वा सामान बिक्री पसल                                 | २,०००।-           |
| ४६      | सर्टिड सुटिड टेलरिड                                                              |                   |
|         | क श्रेणी (सर्टिड सुटिड कपडा पसल सहित)                                            | १०,०००।-          |
|         | ख श्रेणी (सर्टिड सुटिड तथा टेलरिड पसल)                                           | २,०००।-           |
| ४७      | सिलाई कटाई पसल तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यवसाय                                    | १५००।-            |
| ४८      | पुस्तक, स्टेसनरी सामान, पत्रपत्रिकाको बिक्रेता                                   |                   |
|         | क श्रेणी (१० लाख माथि)                                                           | ५,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (१० लाखसम्म)                                                            | २,०००।-           |
| ४९      | एकोरियम बिक्री पसल                                                               | ५,०००।-           |
| ५०      | खेलकुद/म्युजिकल सामान बिक्री पसल                                                 | ५,०००।-           |
| ५१      | पूजा सामग्री पसल                                                                 | २,०००।-           |

| क्र.सं. | विवरण                                 | वार्षिक कर<br>रु. |
|---------|---------------------------------------|-------------------|
| ५२      | निजी खेलकुद व्यवसाय                   |                   |
|         | १ फुटसल                               | ४,०००।-           |
|         | (१) तेक्वान्डो                        | १,५००।-           |
|         | (२) कराते                             | १,५००।-           |
|         | (३) बक्सिङ                            | १,५००।-           |
|         | (४) ब्याडमिन्टन                       | १,५००।-           |
|         | (५) टेनिस (Tennis)                    | ३,०००।-           |
|         | (६) भारोत्तोलन (Weight Lifting)       | १,५००।-           |
|         | (७) टेबल टेनिस (Table Tennis)         | १,५००।-           |
|         | (८) स्वीमिङ्ग पुल                     | २,५००।-           |
|         | (९) जिमखाना/व्यायामशाला               | ५,०००।-           |
|         | (१०) जुम्बा डान्स                     | १,०००।-           |
|         | (११) स्केटिङ व्यवसाय                  | ३,०००।-           |
|         | (१२) पुलहाउस                          | १०,०००।-          |
| ५३      | रड र रडसँग सम्बन्धित व्यवसाय          |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाखभन्दा माथि)           | ५,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                 | ३,०००।-           |
| ५४      | संस्थागत पेन्टर                       |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाखभन्दा माथि)           | २,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                 | १,५००।-           |
| ५५      | बाँस डिपो पसल                         | १,०००।-           |
| ५६      | कागज कप, प्लेट, प्लाष्टिक पसल         | १,०००।-           |
| ५७      | चस्मा पसल                             |                   |
|         | क श्रेणी (२० लाखभन्दा माथि)           | ५,०००।-           |
|         | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                 | २,०००।-           |
| ५८      | ईनारका रिड बनाउने व्यवसाय             | ३,०००।-           |
| ५९      | अनलाइन फुड डेलिभरी तथा अनलाइन व्यवसाय | ५,०००।-           |
| ६०      | टनेल किलिन (Tunnel Kiln)              | ३,००,०००।-        |

**(ख) विशेषज्ञ परामर्श सेवा**

| क्र.सं. | विवरण                                                              | दर रु.   |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| १       | चिकित्सक सेवा                                                      | १,५००।-  |
| २       | कविराज                                                             | १,०००।-  |
| ३       | कानून व्यवसायी                                                     |          |
|         | क श्रेणी (ल फर्म वरिष्ठ अधिवक्ता भएको)                             | १०,०००।- |
|         | ख श्रेणी (ल फर्म, अनुवादक, नोटरी पब्लिक, लेखापढी)                  | ५,०००।-  |
| ४       | इन्जिनियर सेवा                                                     | ५,०००।-  |
| ५       | लेखापरीक्षकको फर्म                                                 |          |
|         | क. सि. ए.                                                          | ५,०००।-  |
|         | ख. आर. ए.                                                          | ३,०००।-  |
| ६       | दन्त परीक्षक                                                       | १,०००।-  |
| ७       | अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता (कन्सल्टयान्सी)                     |          |
|         | क श्रेणी (विदेशी अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता/ सल्लाहकार संस्था) | १०,०००।- |
|         | ख श्रेणी (स्वदेशी अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता)                  | ५,०००।-  |
| ८       | कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर                                  |          |
|         | क श्रेणी (कम्पनी भएमा)                                             | ५,०००।-  |
|         | ख श्रेणी (व्यक्ति भएमा)                                            | २,०००।-  |
| ९       | बीमा अभिकर्ता                                                      | १,५००।-  |
| १०      | सर्भेयर                                                            | १,५००।-  |
| ११      | अनुवादक                                                            | १,५००।-  |
| १२      | शेयर ब्रोकर, घरजग्गा कारोबार गर्ने ब्रोकर एजेन्सी                  | १०,०००।- |
| १३      | वैदेशिक रोजगारी परामर्श सेवा                                       | १०,०००।- |
| १४      | शिक्षा परामर्श सेवा                                                | ८,०००।-  |
| १५      | कृषि, भेटेरीनरी परामर्श सेवा                                       | २,०००।-  |

| क्र.सं. | विवरण                                         | दर रु.   |
|---------|-----------------------------------------------|----------|
| १६      | केयर गिभर ट्रेनिङ एण्ड रिसर्च सेन्टर          | ३,०००।-  |
| १७      | अनलाईन र सफ्टवेयर कन्सल्टेन्सी                | ५,०००।-  |
| १८      | सबै प्रकारका कन्सल्टेन्सी (संस्थागत)          | १०,०००।- |
| १९      | ज्योतिष सम्बन्धी कार्य (ज्योतिष परामर्श सेवा) | १,०००।-  |

### (ग) उत्पादनमूलक व्यवसाय तथा उद्योग

| क्र. सं. | विवरण                                 | दर रु.  |
|----------|---------------------------------------|---------|
| १        | कपडा पेल्ले उद्योग                    |         |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                | ८,०००।- |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)      | ६,०००।- |
|          | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)       | ४,०००।- |
|          | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                  | २,०००।- |
| २        | सिरक, डसना, कुसन बनाउने उद्योग        |         |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                | ७,०००।- |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)      | ५,०००।- |
|          | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)       | ३,०००।- |
|          | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                  | १,०००।- |
| ३        | कार्पेट, गार्मेन्ट उद्योग             |         |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                | ८,०००।- |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)      | ६,०००।- |
|          | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)       | ४,०००।- |
|          | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                  | २,०००।- |
| ४        | व्याग, बेल्ट, पर्स आदि उत्पादन उद्योग |         |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                | ८,०००।- |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                 | ५,०००।- |

| क्र. सं. | विवरण                            | दर रु.   |
|----------|----------------------------------|----------|
| ५        | छाता उद्योग                      |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | २०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)            | १०,०००।- |
| ६        | म्याट्रिस उद्योग                 |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | ५०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)            | २५,०००।- |
| ७        | जुत्ता, चप्पल कारखाना/उद्योग     |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | २५,०००।- |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म) | १०,०००।- |
|          | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)            | ५,०००।-  |
| ८        | पस्मीना उद्योग                   |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | २०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)            | १०,०००।- |
| ९        | ऊनी धागो उद्योग                  |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | १०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)            | ५,०००।-  |
| १०       | ढाका कारखाना                     |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | १०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म) | ५,०००।-  |
|          | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)            | ३,०००।-  |
| ११       | पुरानो प्लाष्टिक प्रशोधन उद्योग  |          |
|          | क श्रेणी (५० लाख माथि)           | १०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (२० लाखदेखि ५० लाखसम्म) | ८,०००।-  |
|          | ग श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म) | ६,०००।-  |
|          | घ श्रेणी (१० लाखसम्म)            | ४,०००।-  |

| क्र. सं. | विवरण                                 | दर रु.   |
|----------|---------------------------------------|----------|
| १२       | प्लाष्टिक उद्योग                      |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                | ४०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)      | २०,०००।- |
|          | ग श्रेणी (५ लाख माथि देखि १० लाखसम्म) | १०,०००।- |
|          | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                  | ५,०००।-  |
| १३       | कागज उद्योग/प्रकाशन उद्योग            |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                | २५,०००।- |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)      | १५,०००।- |
|          | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)       | १०,०००।- |
|          | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                  | ५,०००।-  |
| १४       | कागजको प्लेट, कप आदि बनाउने उद्योग    |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                | ८,०००।-  |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)      | ६,०००।-  |
|          | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)       | ४,०००।-  |
|          | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                  | २,०००।-  |
| १५       | कार्टुन उद्योग                        |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                | २५,०००।- |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                 | १५,०००।- |
| १६       | नेपकिन उद्योग                         |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                | १०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                 | ५,०००।-  |
| १७       | कापी किताब उद्योग                     |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                | २०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)      | १०,०००।- |
|          | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)                 | ५,०००।-  |

| क्र. सं. | विवरण                            | दर रु.   |
|----------|----------------------------------|----------|
| १८       | फुड इन्डस्ट्रिज                  |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | ५०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)            | २०,०००।- |
| १९       | दूध उत्पादन उद्योग               |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | २५,०००।- |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)            | १०,०००।- |
| २०       | बेकरी उद्योग                     |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | ५,०००।-  |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म) | २,५००।-  |
|          | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)            | १,०००।-  |
| २१       | सिन्के चाउचाउ/चाउमिन उद्योग      |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | २,५००।-  |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)            | १,५००।-  |
| २२       | चाउचाउ/बिस्कूट उद्योग            |          |
|          | क श्रेणी (५० लाख माथि)           | ७,०००।-  |
|          | ख श्रेणी (२० लाखदेखि ५० लाखसम्म) | २,५००।-  |
|          | ग श्रेणी (२० लाखसम्म)            | १,५००।-  |
| २३       | आलुमिनियम उद्योग                 |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | १०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म) | ५,०००।-  |
|          | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)            | १,०००।-  |
| २४       | रेफ्रिजेरेटर उद्योग              |          |
|          | क श्रेणी (१ करोड माथि)           | २०,०००।- |
|          | ख श्रेणी ५० लाखमाथि १ करोडसम्म)  | १५,०००।- |
|          | ग श्रेणी (५० लाख सम्म)           | १०,०००।- |

| क्र. सं. | विवरण                              | दर रु.   |
|----------|------------------------------------|----------|
| २५       | स्टील/पोली ट्याङ्की उद्योग         |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)             | ५०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)              | २०,०००।- |
| २६       | तामा, पित्तल, स्टील उद्योग/व्यवसाय |          |
|          | क श्रेणी (५० लाख माथि)             | ५०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (२५ लाखदेखि ५० लाखसम्म)   | ३०,०००।- |
|          | ग श्रेणी (१० लाखदेखि २५ लाखसम्म)   | १०,०००।- |
|          | घ श्रेणी (१० लाखसम्म)              | ५,०००।-  |
| २७       | अक्सिजन उत्पादन उद्योग             |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)             | ३०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)              | १५,०००।- |
| २८       | केमिकल्सजन्य उद्योग                |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)             | १५,०००।- |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)   | १०,०००।- |
|          | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)              | ५,०००।-  |
| २९       | पाइप उद्योग                        |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)             | ५०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)   | ३०,०००।- |
|          | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)    | २०,०००।- |
|          | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)               | १०,०००।- |
| ३०       | ह्युम पाइप उद्योग                  |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)             | ७५,०००।- |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)   | ५०,०००।- |
|          | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)              | २५,०००।- |
|          | घ श्रेणी (रिड निर्माण)             | ५,०००।-  |



| क्र. सं. | विवरण                                                                      | दर रु.     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ३१       | औषधी उत्पादन उद्योग                                                        |            |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                     | ५०,०००।-   |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                                           | ३०,०००।-   |
|          | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)                                            | २०,०००।-   |
|          | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                                                       | १०,०००।-   |
| ३२       | ब्लक उद्योग                                                                |            |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                     | २५,०००।-   |
|          | ख श्रेणी ( २० लाखसम्म)                                                     | ५,०००।-    |
| ३३       | बिजुलीको तार उद्योग                                                        |            |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                     | १,००,०००।- |
|          | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                                           | ७५,०००।-   |
|          | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)                                            | ५०,०००।-   |
|          | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                                                       | २५,०००।-   |
| ३४       | साबुन, डिटरजेन्ट, क्लिनिङ पाउडर, अत्तर(Attar Perfume) उत्पादन गर्ने उद्योग |            |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                     | १०,०००।-   |
|          | ख श्रेणी ( २० लाखसम्म)                                                     | ५,०००।-    |
| ३५       | पानी उद्योग/व्यवसाय                                                        |            |
|          | पानी व्यवसाय                                                               | २०,०००।-   |
|          | मिनिरल वाटर, सोडा उद्योग                                                   | २०,०००।-   |
|          | पानी प्याकेजिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योग                               | १५,०००।-   |
|          | खानेपानी ट्याङ्कर व्यवसाय (प्रति ट्याङ्कर वार्षिक)                         | १०,०००।-   |

## (घ) कृषि तथा खाद्यान्य

|   |                                               |         |
|---|-----------------------------------------------|---------|
| १ | खाद्यान्न पसल/किराना पसल                      |         |
|   | क श्रेणी (१० लाख माथि)                        | २,०००।- |
|   | ख श्रेणी (१० लाखसम्म)                         | १,५००।- |
| २ | माछा, मासु, अण्डा, प्रशोधित मासुजन्य विक्रेता |         |
|   | क श्रेणी (१० लाख माथि)                        | ५,०००।- |
|   | ख श्रेणी (१० लाखसम्म)                         | ३,०००।- |
| ३ | फलफूल/बिरुवा विक्रेता                         |         |
|   | क श्रेणी (१० लाख माथि)                        | २,०००।- |
|   | ख श्रेणी (१० लाखसम्म)                         | १,५००।- |

|    |                                  |            |
|----|----------------------------------|------------|
| ३६ | डिटिलरी उद्योग                   |            |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | १,००,०००।- |
|    | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)            | ५०,०००।-   |
| ३७ | पशुपन्छी फिड उद्योग              |            |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | १०,०००।-   |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म) | ७,०००।-    |
|    | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)            | ४,०००।-    |
| ३८ | दाना उद्योग                      |            |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | १०,०००।-   |
|    | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)            | ७,०००।-    |
| ३९ | फाइबर उद्योग                     |            |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | २५,०००।-   |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म) | १०,०००।-   |
|    | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)            | ५,०००।-    |

|    |                                   |            |
|----|-----------------------------------|------------|
| ४० | ग्लास कारखाना उद्योग              |            |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)            | १,५०,०००।- |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)  | ५०,०००।-   |
|    | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)   | २०,०००।-   |
|    | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)              | १०,०००।-   |
| ४१ | किचन सामान व्यवसाय/उद्योग         |            |
|    | क श्रेणी (५० लाख माथि)            | ५०,०००।-   |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि ५० लाखसम्म ) | २५,०००।-   |
|    | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)             | ५,०००।-    |
| ४२ | टायर रिसोलिड उद्योग/व्यवसाय       |            |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)            | ७,०००।-    |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)  | ५,०००।-    |
|    | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)   | ३,०००।-    |
|    | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)              | १,०००।-    |
| ४३ | फर्निचर उद्योग                    |            |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)            | १५,०००।-   |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)  | १०,०००।-   |
|    | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)             | ५,०००।-    |
| ४४ | काठ स:मिल                         |            |
|    | स:मिल(फर्निचर र गोदाम सहितको)     | २०,०००।-   |
|    | स:मिल र काठ बिक्री गर्ने          | १५,०००।-   |
| ४५ | झ्याल ढोका कर्भिड उद्योग          |            |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)            | ५,०००।-    |
|    | ख श्रेणी ( २० लाख सम्म)           | ३,०००।-    |

|    |                                                                                          |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ४६ | जडीबुटी प्रशोधन उद्योग                                                                   |           |
|    | क श्रेणी (लगानी ५ करोडभन्दा माथि)                                                        | १००,०००।- |
|    | ख श्रेणी (लगानी १ करोडदेखि ५ करोडसम्म)                                                   | ७५,०००।-  |
|    | ग श्रेणी (लगानी ५० लाखदेखि १ करोडसम्म)                                                   | ५०,०००।-  |
|    | घ श्रेणी (लगानी १५ लाखदेखि ५० लाखसम्म)                                                   | २५,०००।-  |
|    | ङ श्रेणी (लगानी ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म)                                                    | १०,०००।-  |
|    | च श्रेणी (लगानी ५ लाखसम्म)                                                               | ५,०००।-   |
| ४७ | सौर्य, कोइला, प्राकृतिक तेल, ग्यास, बायोग्यास तथा अन्य श्रोतबाट ऊर्जा पैदा गर्ने व्यवसाय |           |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                                   | ४,०००।-   |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                                                         | ३,०००।-   |
|    | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)                                                          | २,०००।-   |
|    | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                                                                     | १,०००।-   |
| ४८ | वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन उद्योग/सोलार प्यानल तथा सोको उपकरण निर्माण उद्योग                 |           |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                                   | ५०,०००।-  |
|    | ख श्रेणी ( २० लाखसम्म)                                                                   | २०,०००।-  |
| ४९ | नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय                                                                   |           |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                                   | ५,०००।-   |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                                                         | ३,०००।-   |
|    | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)                                                                    | २,०००।-   |
| ५० | सडक, पुल एवं आवास, कम्प्लेक्स आदि निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवसाय               |           |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                                   | १०,०००।-  |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                                                         | ८,०००।-   |
|    | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)                                                          | ५,०००।-   |
|    | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                                                                     | ३,०००।-   |

|    |                                                          |          |
|----|----------------------------------------------------------|----------|
| ५१ | खनिज उत्खनन तथा प्रशोधन गर्ने व्यवसाय                    |          |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                   | ८,०००।-  |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                         | ६,०००।-  |
|    | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)                          | ४,०००।-  |
|    | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                                     | २,०००।-  |
| ५२ | खानी उद्योग                                              |          |
|    | (क) खानी दर्ता                                           | २०००००।- |
|    | (ख) खानी नवीकरण                                          | ५००००।-  |
| ५३ | छापाखाना                                                 |          |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                   | १०,०००।- |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                         | ८,०००।-  |
|    | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)                          | ५,०००।-  |
|    | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                                     | ३,०००।-  |
| ५४ | जिनिङ्ग एण्ड वेलिङ्ग व्यवसाय (कपडा, कपास र पराल प्रशोधन) |          |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                   | १०,०००।- |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                         | ८,०००।-  |
|    | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)                          | ५,०००।-  |
|    | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                                     | ३,०००।-  |
| ५५ | सार्वजनिक पारवहन (Transport) व्यवसाय                     |          |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                   | १०,०००।- |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                         | ८,०००।-  |
|    | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)                          | ५,०००।-  |
|    | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                                     | ३,०००।-  |
| ५६ | माटोको भाँडाकुँडा बनाउने र बिक्री वितरण गर्ने            |          |
|    |                                                          | ५००।-    |

|    |                                  |          |
|----|----------------------------------|----------|
| ५७ | घरेलु उद्योग                     | १,०००।-  |
| ५८ | होजियारी व्यवसाय                 |          |
|    | क श्रेणी (१० लाख माथि)           | ७,००।-   |
|    | ख श्रेणी (१० लाखसम्म)            | ५००।-    |
| ५९ | तितौरा अमिलो पसल                 |          |
|    | क श्रेणी (१० लाख माथि)           | १,०००।-  |
|    | ख श्रेणी (१० लाखसम्म)            | ५००।-    |
| ६० | दालमोठ बनाउने                    |          |
|    | क श्रेणी (१० लाख माथि)           | १,०००।-  |
|    | ख श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)  | ७००।-    |
|    | ग श्रेणी (५ लाखसम्म)             | ५००।-    |
| ६१ | मिठाई पसल                        |          |
|    | क श्रेणी (१० लाख माथि)           | ७,०००।-  |
|    | ख श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)  | ४,०००।-  |
|    | ग श्रेणी (५ लाखसम्म)             | २,०००।-  |
| ६२ | दूधदही डेरी पसल                  |          |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | १०,०००।- |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म) | ५,०००।-  |
|    | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)            | २,०००।-  |
| ६३ | खानेकुरा पसल वा भोजनालय          |          |
|    | क श्रेणी (१० लाख माथि)           | २,०००।-  |
|    | ख श्रेणी (१० लाखसम्म)            | १,०००।-  |
| ६४ | साधारण रेष्टुरेन्ट               |          |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | ८,०००।-  |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म) | ६,०००।-  |
|    | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)            | ४,०००।-  |

|    |                                                                          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| ६५ | साधारण खाना/खाजा/चिया पसल                                                |          |
|    | क. श्रेणी (१० लाख माथि)                                                  | १,०००।-  |
|    | ख. श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)                                         | ८००।-    |
|    | ग. श्रेणी (५ लाखसम्म)                                                    | ५००।-    |
| ६६ | चिया, कफी बिक्री पसल                                                     |          |
|    |                                                                          | १,५००।-  |
| ६७ | बेकरी पसल                                                                |          |
|    | क. श्रेणी (१० लाख माथि)                                                  | २,०००।-  |
|    | ख. श्रेणी (१० लाख सम्म)                                                  | १,०००।-  |
| ६८ | बर्गर हाउस/चिकेन स्टेशन/तण्डुरी/फास्टफूड लगायत सोही प्रकृतिको व्यवसाय    |          |
|    |                                                                          | १०,०००।- |
| ६९ | क. हलुका पेय पदार्थ उद्योग                                               | ५०,०००।- |
|    | ख. हलुका पेय पदार्थ घरेलु उद्योग/सोडा आदि                                | २,०००।-  |
| ७० | क. आइसक्रिम उद्योग (३ किलोवाटभन्दा माथि)                                 | १०,०००।- |
|    | ख. आइसक्रिम/कुल्फी उद्योग घरेलु(३ किलोवाटसम्म)                           | २,०००।-  |
| ७१ | पुनः प्रयोगयोग्य सामान बिक्री (स्क्राप नगरी प्रयोगमा आउने)               |          |
|    | क. श्रेणी (२० लाख माथि)                                                  | १,५००।-  |
|    | ख. श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                   | १,०००।-  |
| ७२ | चल्ला उत्पादन गर्ने उद्योग (ह्याचरी उद्योग)                              |          |
|    |                                                                          | १०,०००।- |
| ७३ | श्रव्यदृश्य निर्माण तथा वितरण (Audio Visual Production and Distribution) |          |
|    |                                                                          | ५,०००।-  |
| ७४ | खेलौना तथा उपहार उद्योग                                                  |          |
|    | क. श्रेणी (२० लाख भन्दा माथि )                                           | १००००।-  |
|    | ख. श्रेणी (१० लाख देखि २० लाख सम्म)                                      | ७०००।-   |
|    | ग. श्रेणी (१० लाख सम्म)                                                  | ५०००।-   |

| क्र.सं. | विवरण                                                     | दर रु.  |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|
| ४       | मौरी पालन व्यवसाय                                         | १,०००।- |
| ५       | कुखुराको चल्ला बिक्री                                     | ३,०००।- |
| ६       | पेट शप (घरपालुवा पशुपंक्षीको दाना/आहारा लगायत आदि बिक्री) | ५,०००।- |
| ७       | कुकुर प्रजनन केन्द्र (डग ब्रिडिङ फर्म)                    | २,०००।- |
| ८       | फलफूल तरकारी पसल                                          |         |
|         | क श्रेणी (२ लाख माथि)                                     | १,५००।- |
|         | ख श्रेणी (२ लाखसम्म)                                      | १,०००।- |
| ९       | फलफूल पसल, जुस समेत                                       |         |
|         | क श्रेणी (२ लाख माथि)                                     | २,०००।- |
|         | ख श्रेणी (२ लाखसम्म)                                      | १,०००।- |
| १०      | तरकारी तथा फलफूल सप्लायर्स                                |         |
|         | क श्रेणी (१० लाख माथि)                                    | ५,०००।- |
|         | ख श्रेणी (१० लाख सम्म)                                    | ३,०००।- |
| ११      | कृषि वा वन पैदावारमा आधारित उद्योग/व्यवसाय/टनेल खेती      |         |
|         | क श्रेणी (१० लाख माथि)                                    | ४,०००।- |
|         | ख श्रेणी (१० लाखसम्म)                                     | ३,०००।- |
| १२      | गाई/भैसी/बाख्रा/च्याङ्ग्रा तथा अन्य चौपाया फार्म          | २,५००।- |
| १३      | घरपालुवा पालन व्यवसाय (कुकुर, बिरालो आदि)                 |         |
|         | क श्रेणी (१० लाख माथि)                                    | १,५००।- |
|         | ख श्रेणी (१० लाखसम्म)                                     | १,०००।- |
| १४      | कुखुरा, टर्की, बटुई, कालिज आदि पालन व्यवसाय               |         |
|         | क श्रेणी (१० लाख माथि)                                    | ३,०००।- |
|         | ख श्रेणी (१० लाखसम्म)                                     | २,०००।- |



| क्र.सं. | विवरण                              | दर रु.   |
|---------|------------------------------------|----------|
| १५      | फलफूल/तरकारीको बिऊ बिजन बिक्री पसल |          |
|         | क श्रेणी (५ लाख माथि)              | १,५००।-  |
|         | ख श्रेणी (५ लाखसम्म)               | १,०००।-  |
| १६      | पशु वधशाला/पशु वधस्थल              |          |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)             | १०,०००।- |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)   | ५,०००।-  |
|         | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)              | ३,०००।-  |
| १७      | छाला हड्डी व्यवसाय                 | १०,०००।- |

### (ड) होटल तथा पर्यटनजन्य व्यवसाय

| क्र. सं. | विवरण                       | दर रु.     |
|----------|-----------------------------|------------|
| १        | होटल, मोटेल, रिसोर्ट        |            |
|          | क श्रेणी (५ तारे होटल)      | १,५०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (४ तारे होटल)      | १,००,०००।- |
|          | ग श्रेणी (३ तारे होटल)      | ५०,०००।-   |
|          | घ श्रेणी (मोटेल/होटल)       | २०,०००।-   |
|          | ड श्रेणी (रिसोर्ट)          | १०,०००।-   |
| २        | होमस्टे                     | १,०००।-    |
| ३        | चलचित्र प्रदर्शनी घर        | १०,०००।-   |
| ४        | ३D हल                       | ५,०००।-    |
| ५        | लज, गेष्टहाउस               | १०,०००।-   |
| ६        | रेष्टुरेण्ट बार एण्ड दोहोरी | १२,०००।-   |
| ७        | रिक्रियसन सेन्टर            | १०,०००।-   |

| क्र. सं. | विवरण                                                                                                                                                                 | दर रु.     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ८        | साहसिक खेल व्यवसाय(Adventure Game)                                                                                                                                    |            |
|          | क जिप लाइन                                                                                                                                                            | ५,०००।-    |
|          | ख स्काइ साइक्लिङ                                                                                                                                                      | ५,०००।-    |
|          | ग बन्जी                                                                                                                                                               | ५,०००।-    |
|          | घ स्काइ वाक                                                                                                                                                           | ५,०००।-    |
|          | ङ अध्वारोहण(Horse Riding)                                                                                                                                             | ५,०००।-    |
|          | च रक कलाइम्बिङ                                                                                                                                                        | ५,०००।-    |
| ९        | पर्यटकीय रिक्रियसन खेल (गल्फकोर्स, राफ्टिङ, सफारी, अध्वारोहण (Horse Riding), स्किइङ, प्याराग्लाइडिङ, पोलो, बन्जीजम्प, केबलकार, रिसोर्ट, होटल आदि) को सम्पर्क कार्यालय | ३,०००।-    |
| १०       | हस्तकला निर्यात व्यवसाय                                                                                                                                               | ३,०००।-    |
| ११       | क्यासिनो                                                                                                                                                              | ३,००,०००।- |
| १२       | मिनि क्यासिनो                                                                                                                                                         | १,००,०००।- |
| १३       | ट्रेकिङ सामान पसल                                                                                                                                                     | ५,०००।-    |
| १४       | डिस्को थेक, नाइट क्लब                                                                                                                                                 | २५,०००।-   |
| १५       | थान्का पसल                                                                                                                                                            | ५,०००।-    |
| १६       | टुर अपरेटर                                                                                                                                                            |            |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                                                                                                                | ५,०००।-    |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                                                                                                                 | ३,०००।-    |
| १७       | ट्राभल/ट्रेकिङ एजेन्सी                                                                                                                                                |            |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                                                                                                                | १०,०००।-   |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                                                                                                                 | ८,०००।-    |
| १८       | पार्टी प्यालेस, ब्याङ्क्वेट हल, कन्भेन्सन हल, इभेन्ट्स, भेन्यु                                                                                                        |            |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                                                                                                                | १५,०००।-   |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                                                                                                                 | १०,०००।-   |

| क्र. सं. | विवरण                                       | दर रु.   |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| १९       | मसाजपार्लर, स्पा, ज्याकुजी, सनबाथ लगायत आदि |          |
|          | क श्रेणी (२० लाख माथि)                      | ३,०००।-  |
|          | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                       | २,०००।-  |
| २०       | फनपार्क                                     |          |
|          | क श्रेणी (१४ रोपनीभन्दा माथि)               | २०,०००।- |
|          | ख श्रेणी (५ रोपनीदेखि १४ रोपनीसम्म)         | १०,०००।- |
|          | ग श्रेणी (५ रोपनीसम्म)                      | ५,०००।-  |

## (च) संचार सेवा व्यवसाय

| क्र.सं. | विवरण                                              | दर रु.   |
|---------|----------------------------------------------------|----------|
| १       | निजी क्षेत्रका टेलिफोन, फ्याक्स, फोटोकपी, पि.सी.ओ. |          |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                             | १,०००।-  |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                   | ६००।-    |
|         | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)                              | ३००।-    |
| २       | निजी क्षेत्रका हुलाक/कुरियर सेवा                   |          |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                             | १,०००।-  |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                   | ६००।-    |
|         | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)                              | ३००।-    |
| ३       | छपाई तथा प्रकाशन                                   |          |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                             | ५,०००।-  |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                   | ३,०००।-  |
|         | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)                              | २,०००।-  |
| ४       | टेलिभिजन प्रसारण संस्था                            |          |
|         | (क) दर्ता शुल्क                                    | २०,०००।- |
|         | (ख) नवीकरण शुल्क (वार्षिक)                         | ७,०००।-  |

| क्र.सं. | विवरण                                                               | दर रु.   |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| ५       | रेडियो/एफ.एम. प्रसारण संस्था                                        |          |
|         | (क) दर्ता शुल्क                                                     | १०,०००।- |
|         | (ख) नवीकरण शुल्क (वार्षिक)                                          | ३,०००।-  |
| ६       | केवल टि.भी., डिसहोम नेटवर्क, इन्टरनेट सेवा (ग्राहक संख्याको आधारमा) |          |
|         | क श्रेणी (२००० भन्दा बढी)                                           | २०,०००।- |
|         | ख श्रेणी (१००१-२०००)                                                | १५,०००।- |
|         | ग श्रेणी (५०१-१०००)                                                 | १०,०००।- |
|         | घ श्रेणी (५०० सम्म)                                                 | ५,०००।-  |
| ७       | राष्ट्रिय पत्रिका                                                   | २,०००।-  |
| ८       | स्थानीय पत्रिका, अनलाइन खबर                                         | १,०००।-  |
| ९       | साइबर क्याफे                                                        | २,०००।-  |
| १०      | अनलाईन मिडिया                                                       | १,०००।-  |

### (छ) वित्तीय सेवा व्यवसाय

| क्र.सं. | विवरण                                                                                           | दर रु.   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| १       | नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बाहेक आर्थिक कारोबार गर्ने "क" वर्गको बैंक/वित्तीय संस्था |          |
|         | (क) मुख्य कार्यालय                                                                              | ५०,०००।- |
|         | (ख) शाखा कार्यालय                                                                               | २५,०००।- |
|         | (ग) विस्तारित काउण्टर                                                                           | १५,०००।- |

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                      | दर रु.   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| २       | नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बाहेक आर्थिक कारोबार गर्ने "ख" वर्गको बैंक/वित्तीय संस्था            |          |
|         | (क) मुख्य कार्यालय                                                                                         | ३०,०००।- |
|         | (ख) शाखा कार्यालय                                                                                          | १५,०००।- |
|         | (ग) विस्तारित काउण्टर                                                                                      | १०,०००।- |
| ३       | नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बाहेक आर्थिक कारोबार गर्ने "ग" वर्गको फाईनान्स कम्पनी/वित्तीय संस्था |          |
|         | (क) मुख्य कार्यालय                                                                                         | २०,०००।- |
|         | (ख) शाखा कार्यालय                                                                                          | १०,०००।- |
| ४       | नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बाहेक आर्थिक कारोबार गर्ने "घ" वर्गको लघुवित्त/वित्तीय संस्था        |          |
|         | (क) मुख्य कार्यालय                                                                                         | १०,०००।- |
|         | (ख) शाखा कार्यालय                                                                                          | ५,०००।-  |
| ५       | बीमा कम्पनी                                                                                                |          |
|         | (क) मुख्य कार्यालय                                                                                         | २५,०००।- |
|         | (ख) शाखा कार्यालय                                                                                          | १०,०००।- |
|         | (ग) विस्तारित काउण्टर                                                                                      | ५,०००।-  |
| ६       | विदेशी मुद्रा सट्टी काउण्टर                                                                                |          |
|         | (क) मुख्य कार्यालय                                                                                         | १०,०००।- |
|         | (ख) शाखा कार्यालय                                                                                          | ५,०००।-  |
| ७       | धितोपत्र कारोबार                                                                                           |          |
|         | (क) मुख्य कार्यालय                                                                                         | १०,०००।- |
|         | (ख) शाखा कार्यालय                                                                                          | ५,०००।-  |

| क्र.सं. | विवरण                                  | दर रु.   |
|---------|----------------------------------------|----------|
| ८       | सहकारी संस्था                          |          |
|         | क श्रेणी (पूँजी ५ करोड माथि)           | १०,०००।- |
|         | ख श्रेणी (पूँजी १ करोडदेखि ५ करोडसम्म) | ५,०००।-  |
|         | ग श्रेणी (पूँजी ५० लाखदेखि १ करोडसम्म) | २,०००।-  |
|         | घ श्रेणी (पूँजी ५० लाखसम्म)            | १,०००।-  |
|         | सहकारी संस्थाको सदस्य सेवा केन्द्र     | ५,०००।-  |
| ९       | सहकारी बैंक                            |          |
|         | (क) मुख्य कार्यालय                     | २०,०००।- |
|         | (ख) शाखा कार्यालय                      | १०,०००।- |
| १०      | इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी                   |          |
|         | (क) मुख्य कार्यालय                     | २५,०००।- |
|         | (ख) शाखा कार्यालय                      | १०,०००।- |
| ११      | मनिट्रान्सफर/रेमिटेन्स सेवा            | १,०००।-  |
| १२      | बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ATM बुथ      | ५,०००।-  |

### (ज) स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय

| क्र.सं. | विवरण                            | दर रु.   |
|---------|----------------------------------|----------|
| १       | निजी अस्पताल                     |          |
|         | क श्रेणी (५१ बेड माथि)           | ५०,०००।- |
|         | ख श्रेणी (२१ बेडदेखि ५० बेडसम्म) | २०,०००।- |
|         | ग श्रेणी (१६ बेडदेखि २० बेडसम्म) | १५,०००।- |
|         | घ श्रेणी (१५ बेडसम्म)            | १०,०००।- |

| क्र.सं. | विवरण                                                     | दर रु.     |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------|
| २       | निजी अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर                            |            |
|         | क श्रेणी (५१ बेड माथि)                                    | १,५०,०००।- |
|         | ख श्रेणी (२१ बेडदेखि ५० बेडसम्म)                          | १,२०,०००।- |
|         | ग श्रेणी (१६ बेडदेखि २० बेडसम्म)                          | १,१५,०००।- |
|         | घ श्रेणी (१५ बेडसम्म)                                     | १,१०,०००।- |
| ३       | निजी अस्पताल शाखा                                         | १०,०००।-   |
| ४       | नर्सिङ होम                                                | २०,०००।-   |
| ५       | साधारण क्लिनिक                                            | ३,०००।-    |
| ६       | डेन्टल क्लिनिक, आइक्लिनिक                                 | ५,०००।-    |
| ७       | ल्याब                                                     | २,०००।-    |
| ८       | साउनाबाथ, फिजियोथेरापी, अर्थोपेडिक सेवा आदि               | ५०००।-     |
| ९       | पोलिक्लिनिक, डाइग्नोस्टिक सेन्टर                          |            |
|         | क श्रेणी (एक्सरे, एम.आर.आइ., ल्याब, सिटीस्क्यान आदि भएको) | १०,०००।-   |
|         | ख श्रेणी (एक्सरे र ल्याब मात्र)                           | ५,०००।-    |
| १०      | हेल्थ क्लब तथा व्यायामशाला, एरोबिक सेन्टर                 | ५,०००।-    |
| ११      | आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा अस्पताल                  | ५,०००।-    |
| १२      | औषधि पसल, भेटरिनरी औषधी, सर्जिकल इक्युपमेन्ट बिक्रेता     | ३,०००।-    |
| १३      | आयुर्वेदिक पसल                                            | १,०००।-    |
| १४      | भेटरिनरी औषधी आयात व्यवसाय                                | १०,०००।-   |
| १५      | ध्यान तथा योग सिकाइ केन्द्र                               | ३,०००।-    |
| १६      | कपाल प्रत्यारोपण सेन्टर                                   | १०,०००।-   |

| क्र.सं. | विवरण                                  | दर रु.  |
|---------|----------------------------------------|---------|
| १७      | अक्यूपन्चर सेवा                        | ३,०००।- |
| १८      | भेटेरिनरी अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशाला | ३,०००।- |

## (झ) शिक्षा तथा तालिम व्यवसाय

| क्र.सं. | विवरण                            | दर रु.   |
|---------|----------------------------------|----------|
| १       | विश्वविद्यालय                    | ४०,०००।- |
| २       | क्याम्पस/कलेज                    | ३०,०००।- |
| ३       | उ.मा.वि. (कक्षा १ देखि १२ सम्म)  |          |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | १५,०००।- |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म) | १२,०००।- |
|         | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)  | ८,०००।-  |
|         | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)             | ५,०००।-  |
| ४       | मा.वि. (कक्षा १ देखि १० सम्म)    |          |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | १३,०००।- |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म) | १०,०००।- |
|         | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)  | ७,०००।-  |
|         | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)             | ५,०००।-  |
| ५       | आधारभूत (कक्षा १ देखि ८ सम्म)    |          |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)           | १२,०००।- |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म) | ९,०००।-  |
|         | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)  | ६,०००।-  |
|         | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)             | ५,०००।-  |



| क्र.सं. | विवरण                                            | दर रु.     |
|---------|--------------------------------------------------|------------|
| ६       | आधारभूत (कक्षा १ देखि ५ सम्म)                    |            |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                           | १०,०००।-   |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                 | ८,०००।-    |
|         | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)                  | ६,०००।-    |
|         | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                             | ५,०००।-    |
| ७       | आधारभूत (१ कक्षादेखि ३ कक्षा सम्म)               |            |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                           | ६,०००।-    |
|         | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                 | ५,०००।-    |
|         | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)                  | ४,०००।-    |
|         | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                             | ३,०००।-    |
| ८       | शिशु स्याहार केन्द्र/पूर्व प्राथमिक (मन्टेसरी)   | ५,०००।-    |
| ९       | मेडिकल कलेज                                      | २,००,०००।- |
| १०      | नर्सिङ, एच.ए. कलेज                               | १,००,०००।- |
| ११      | होस्टेल                                          | २,५००।-    |
| १२      | तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र                      |            |
|         | क श्रेणी (१० लाख माथि)                           | ५,०००।-    |
|         | ख श्रेणी (१० लाखसम्म)                            | ३,०००।-    |
| १३      | टार्इपिड, कम्प्युटर, भाषा प्रशिक्षण संस्था       |            |
|         | क श्रेणी (१० लाख माथि)                           | २,०००।-    |
|         | ख श्रेणी (५ लाख माथि देखि १० लाखसम्म)            | १,०००।-    |
|         | ग श्रेणी (५ लाखसम्म)                             | ५००।-      |
| १४      | ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर                          |            |
|         | (क) गाडी ट्रायल सेन्टर र ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर | ५०,०००।-   |
|         | (ख) हेभि गाडी ट्रेनिङ सेन्टर                     | ३०,०००।-   |
|         | (ग) लाइट गाडी ट्रेनिङ सेन्टर                     | १५,०००।-   |
|         | (घ) मोटर साइकल ट्रेनिङ सेन्टर                    | ५,०००।-    |

| क्र.सं. | विवरण                                                                    | दर रु.   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| १५      | ब्रिजकोर्स सञ्चालन केन्द्र                                               | १०,०००।- |
| १६      | सीपमूलक तालिम केन्द्र                                                    | ३,०००।-  |
| १७      | ट्युसन सेन्टर/कोचिड सेन्टर                                               | ५,०००।-  |
| १८      | वैकल्पिक विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम                             | १,०००।-  |
| १९      | तालिम दिने व्यवसाय (कृषी तालिम, शृङ्गार सम्बन्धी तालिम लगायत अन्य तालिम) | १,५००।-  |

### (ज) अटोमोबाइल/यन्त्र/उपकरण

| क्र.सं. | विवरण                                                                                       | दर रु.     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| १       | ठूला सवारी (ट्रक, बस, लरी, ट्रिपर, रोड रोलर, डोजर लगायत आदि) आयातकर्ता                      | ५,००,०००।- |
| २       | मझौला सवारी (मिनिबस, मिनिट्रक, मिनि ट्रिपर लगायत आदि) आयातकर्ता                             | ३,५०,०००।- |
| ३       | साना सवारी (कार, जीप, भ्यान, पिकअप, माइक्रो, टेम्पो, पावर टिलर लगायत आदि) आयातकर्ता         | २,००,०००।- |
| ४       | मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड लगायत आदि आयातकर्ता                                                | ७५,०००।-   |
| ५       | ठूला सवारी (ट्रक, बस, लरी, ट्रिपर, रोड रोलर, डोजर लगायत आदि) बिक्री सोरुम/डिलर              | २,००,०००।- |
| ६       | मझौला सवारी (मिनिबस, मिनिट्रक, मिनि ट्रिपर लगायत आदि) बिक्री सोरुम/डिलर                     | १,००,०००।- |
| ७       | विद्युतीय बस, ट्रक लगायत आदि बिक्री सोरुम/डिलर                                              | १,००,०००।- |
| ८       | साना सवारी (कार, जीप, भ्यान, पिकअप, माइक्रो, टेम्पो, पावर टिलर लगायत आदि) बिक्री सोरुम/डिलर | ५०,०००।-   |
| ९       | विद्युतीय कार, जीप, भ्यान, पिकअप, माइक्रो, टेम्पो लगायत आदिको बिक्री सोरुम/डिलर             | ५०,०००।-   |
| १०      | रिकन्डिसन चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद बिक्री                                               | २५,०००।-   |
| ११      | मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड बिक्री सोरुम/डिलर                                                  | २५,०००।-   |

| क्र.सं | विवरण                                                                        | दर रु.     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| १२     | विद्युतीय मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड बिक्री सोरुम/डिलर                         | २०,०००।-   |
| १३     | रिकन्डिसन मोटरसाइकल,स्कुटर, मोपेड खरिद बिक्री                                | १०,०००।-   |
| १४     | साइकल बिक्री सोरुम/पसल                                                       | ३,०००।-    |
| १५     | विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ सेन्टर                                          | ५०००।-     |
| १६     | सवारी साधनको पाटपुर्जा, टायरटयुव, हेल्मेट आदि बिक्री                         |            |
|        | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                       | ५,०००।-    |
|        | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                        | ३,०००।-    |
| १७     | इलेक्ट्रोनिक सामान निर्माण/एसेम्बल                                           | २,००,०००।- |
| १८     | ईलेक्ट्रिक सामान आयात गरी जडान गर्ने (२० लाखभन्दा कम पुँजीका साना उद्योग)    | १,००,०००।- |
| १९     | रेडिमिक्स प्लान्ट                                                            | ५०,०००।-   |
| २०     | मोटर बडी निर्माण कारखाना                                                     |            |
|        | (क) ठूला गाडी (ट्रक, बस, लरी, ट्रिपर, रोड रोलर, डोजर लगायत आदि)              | ५०,०००।-   |
|        | (ख) मझौला गाडी (मिनिबस, मिनिट्रक, मिनि ट्रिपर लगायत आदि)                     | ३०,०००।-   |
|        | (ग) साना गाडी (कार, जीप, भ्यान, पिकअप, माइक्रो, टेम्पो, पावर टिलर लगायत आदि) | २०,०००।-   |
| २१     | मोटरसाइकल पार्ट वा मेसिनको पार्ट बिक्री                                      |            |
|        | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                       | ५,०००।-    |
|        | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                        | ३,०००।-    |
| २२     | गाडी तान्ने यन्त्रशाला/क्रेन                                                 |            |
|        | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                       | १५,०००।-   |
|        | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                        | १०,०००।-   |

| क्र.सं | विवरण                                                                | दर रु.   |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| २३     | मेसिन औजार सामान (कम्प्रेसन पानी तात्रे पम्प जेनेरेटर र ड्रिल मेसिन) |          |
|        | क श्रेणी (५ लाखभन्दा माथि)                                           | ३,०००।-  |
|        | ख श्रेणी (२ लाखदेखि ५ लाखसम्म)                                       | १,५००।-  |
|        | ग श्रेणी (२ लाखसम्म)                                                 | १,०००।-  |
| २४     | मोटर्स पार्टस बिक्री                                                 |          |
|        | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                               | ५,०००।-  |
|        | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                | ३,०००।-  |
| २५     | हेभी भेइकल, ट्रक, लरी, बस, मिनिबस लगायत आदिको आधिकारिक सर्भिस सेन्टर | ५०,०००।- |
| २६     | हेभी भेइकल, ट्रक, लरी, बस, मिनिबस लगायत आदिको मर्मत केन्द्र          | २५,०००।- |
| २७     | लाइट भेइकल कार, भ्यान, जिप लगायत आदिको आधिकारिक सर्भिस सेन्टर        | २०,०००।- |
| २८     | लाइट भेइकल कार, भ्यान, जिप लगायत आदिको मर्मत केन्द्र                 | १५,०००।- |
| २९     | साना सवारी साधन मर्मत डेन्ट, पेन्ट बाहेक                             | १००००।-  |
| ३०     | साना सवारी साधन मर्मत डेन्ट, पन्ट मात्र                              | ७०००।-   |
| ३१     | मोटरसाइकल कम्पनीको आधिकारिक मर्मत तथा सर्भिस सेन्टर                  | १०,०००।- |
| ३२     | मोटरसाइकल मर्मत तथा सर्भिस सेन्टर                                    | ५,०००।-  |
| ३३     | साइकल मर्मत केन्द्र                                                  | १,०००।-  |
| ३४     | मोबिल, इन्भर्टर तथा ब्याट्री डिलर                                    |          |
|        | क श्रेणी (५० लाख माथि)                                               | २०,०००।- |
|        | ख श्रेणी (३० लाखदेखि ५० लाखसम्म)                                     | १०,०००।- |
|        | ग श्रेणी (२० लाखदेखि ३० लाखसम्म)                                     | ५,०००।-  |
|        | घ श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                | ३,०००।-  |

|    |                                                                              |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ३५ | रेडियो/टि.भि./घडी/टेलिफोन/कम्प्युटर/मोबाइल तथा विद्युत सामग्री मर्मत केन्द्र |          |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                       | ३,०००।-  |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                                             | २,०००।-  |
|    | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)                                                        | १,५००।-  |
| ३६ | पानी तात्ने पम्प/रेफ्रिजेरेटर/एयर कन्डिसन मर्मत                              | १,०००।-  |
| ३७ | गाडीको सोफा, सिट कभर, हुड बनाउने तथा मर्मत गर्ने व्यवसाय                     | २,०००।-  |
| ३८ | टायर मर्मत                                                                   | ३,०००।-  |
| ३९ | वासिड सेन्टर                                                                 | ५,०००।-  |
| ४० | डिजेल, पेट्रोल सवारी साधनको इन्जिन बोर मर्मत गर्ने                           | १०,०००।- |
| ४१ | डिजेल, पेट्रोल सवारी साधनको इन्जिन पम्प मात्र बनाउने                         | ५,०००।-  |
| ४२ | डिजेल पेट्रोल इन्जिन मर्मत                                                   | ७०००।-   |
| ४३ | हेड रिपियरिड                                                                 | ५०००।-   |
| ४४ | फियुल इन्जेक्सन पम्प मर्मत                                                   | ७०००।-   |
| ४५ | अटो इलेक्ट्रिक वर्क सप                                                       | ५०००।-   |
| ४६ | नयाँ वडी निर्माण                                                             | २००००।-  |
| ४७ | पुरानो वडी डेण्ट                                                             | ७०००।-   |
| ४८ | पुरानो वडी पेन्ट                                                             | ३०००।-   |
| ४९ | इस्प्रिड पत्ता                                                               | ३०००।-   |
| ५० | लेथ अटो वर्कशप                                                               | ४०००।-   |
| ५१ | ब्लक रिवोरिड इन्जिनियरिड                                                     | १२०००।-  |
| ५२ | हार्डड्रूलिक टर्बो मर्मत                                                     | ७०००।-   |
| ५३ | रेडियटर मर्मत                                                                | ३०००।-   |
| ५४ | टायर रिपियरिड                                                                | ३०००।-   |
| ५५ | सिटहूट मर्मत                                                                 | ३०००।-   |

## (ट) निर्माण व्यवसायी

| क्र.सं. | विवरण                           | दर रु.   |
|---------|---------------------------------|----------|
| १       | क वर्गको निर्माण व्यवसाय        |          |
|         | क. न.पा.मा प्रधान कार्यालय भएको | २५,०००।- |
|         | ख. न.पा.मा शाखा कार्यालय भएको   | ५,०००।-  |
| २       | ख वर्गको निर्माण व्यवसाय        |          |
|         | क. न.पा.मा प्रधान कार्यालय भएको | २०,०००।- |
|         | ख. न.पा.मा शाखा कार्यालय भएको   | ५,०००।-  |
| ३       | ग वर्गको निर्माण व्यवसाय        |          |
|         | क. न.पा.मा प्रधान कार्यालय भएको | १५,०००।- |
|         | ख. न.पा.मा शाखा कार्यालय भएको   | ५,०००।-  |
| ४       | घ वर्गको निर्माण व्यवसाय        |          |
|         | क. न.पा.मा प्रधान कार्यालय भएको | ५,०००।-  |
|         | ख. न.पा.मा शाखा कार्यालय भएको   | ३,०००।-  |

## (ठ) अन्य सेवा तथा व्यवसाय

| क्र.सं. | विवरण                                               | दर रु.   |
|---------|-----------------------------------------------------|----------|
| १       | हाउजिङ्ग कम्पनी तथा घरजग्गा खरिद विक्री (रियलस्टेट) |          |
|         | क श्रेणी (१० करोड माथि पूँजी भएको)                  | ३०,०००।- |
|         | ख श्रेणी (५ करोडदेखि १० करोडसम्म पूँजी भएको)        | २०,०००।- |
|         | ग श्रेणी (५ करोडसम्म पूँजी भएको)                    | १०,०००।- |
| २       | विज्ञापन सेवा (विज्ञापन एजेन्सी)                    |          |
|         | क श्रेणी (२० लाख माथि)                              | ३,०००।-  |
|         | ख श्रेणी (१० लाख देखि माथि २० लाख सम्म)             | २,०००।-  |
|         | ग श्रेणी (१० लाख सम्म)                              | १,५००।-  |

|    |                                                    |          |
|----|----------------------------------------------------|----------|
| ३  | वैदेशिक रोजगार व्यवसाय                             |          |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                             | २०,०००।- |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                   | १५,०००।- |
|    | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)                              | १०,०००।- |
| ४  | स्वदेशी रोजगार व्यवसाय                             |          |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                             | ५,०००।-  |
|    | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                              | ३,०००।-  |
| ५  | सेक्युरिटीज सर्विस सेवा                            |          |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                             | १,०००।-  |
|    | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                              | ५००।-    |
| ६  | व्यवसायको सम्पर्क कार्यालय                         | १,०००।-  |
| ७  | कोल्ड स्टोर (चिस्यान केन्द्र)                      | १०,०००।- |
| ८  | इभेन्ट म्यानेजमेन्ट व्यवसाय                        | १०,०००।- |
| ९  | कवाडी व्यवसाय                                      |          |
| १० | १० मिटर भन्दा बढी मापदण्ड भएको सडकमा रहेको व्यवसाय | ५०,०००।- |
| ११ | १० मिटर भन्दा कम मापदण्ड भएको सडकमा रहेको व्यवसाय  | ३०,०००।- |
| १२ | विविध यातायात सम्बन्धी व्यवसाय                     |          |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                             | १०,०००।- |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                   | ८,०००।-  |
|    | ग श्रेणी (५ लाखदेखि १० लाखसम्म)                    | ५,०००।-  |
|    | घ श्रेणी (५ लाखसम्म)                               | ३,०००।-  |
| १३ | प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष                          |          |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                             | ३,०००।-  |
|    | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                              | १,०००।-  |

|    |                                                                     |          |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------|
| १४ | रेन्टल सर्भिस                                                       |          |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                              | १,५००।-  |
|    | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                               | १,०००।-  |
| १५ | क्लियरिङ हाउस (भन्सार एजेन्ट)                                       |          |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                              | १५,०००।- |
|    | ख श्रेणी (१० लाखदेखि २० लाखसम्म)                                    | १०,०००।- |
|    | ग श्रेणी (१० लाखसम्म)                                               | ५,०००।-  |
| १६ | फोहरमैला संकलन व्यवसाय                                              | १५,०००।- |
| १७ | सेप्टिटाइड व्यवसाय                                                  | १५०००।-  |
| १८ | नक्किने फोहोर प्रशोधन मेसिन सञ्चालन व्यवसाय                         | १,०००।-  |
| १९ | डान्स, कल्चर, म्यूजिक                                               | १,०००।-  |
| २० | डान्स ट्रेनिङ सेन्टर                                                | २,०००।-  |
| २१ | सङ्गीत सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय                           | १,५००।-  |
| २२ | सेक्युरिटीज सर्भिस/व्यवसाय                                          | १५,०००।- |
| २३ | घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबारको सम्पर्क कार्यालय                      | १०,०००।- |
| २४ | कार्गो व्यवसाय (वैदेशिक)                                            | २०,०००।- |
| २५ | मालवाहक तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने संघसंस्था तथा कम्पनी |          |
|    | (क) ११ वा सोभन्दा बढी सवारी साधन भएको                               | १०,०००।- |
|    | (ख) १० वटासम्म सवारी साधन भएको                                      | ७,०००।-  |
| २६ | बस सेवा कम्पनी तथा टिकट काउन्टर (प्रति काउन्टर)                     | २,०००।-  |
| २७ | रेकर्डिङ स्टुडियो                                                   | १०,०००।- |
| २८ | व्याण्ड बाजा                                                        | ५,०००।-  |
| २९ | कार्पेट वासिङ                                                       | ३,०००।-  |
| ३० | ड्राइ क्लिनर्स                                                      |          |
|    | क श्रेणी (१० लाख माथि)                                              | ५,०००।-  |
|    | ख श्रेणी (१० लाखसम्म)                                               | २,०००।-  |



|    |                                                                                     |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ३१ | लण्ड्री व्यवसाय                                                                     |          |
|    | क श्रेणी (२० लाख माथि)                                                              | १०,०००।- |
|    | ख श्रेणी (२० लाखसम्म)                                                               | ५,०००।-  |
| ३२ | डि.जे. लगायत साउण्ड सिस्टम भाडामा दिने व्यवसाय                                      | ५,०००।-  |
| ३३ | ट्याक्सी सेवा कम्पनी                                                                |          |
|    | (क) ६ वा सोभन्दा बढी साधन भएको                                                      | ७,०००।-  |
|    | (ख) ५ वटासम्म साधन भएको                                                             | ३,०००।-  |
| ३४ | क्याटरिड व्यवसाय                                                                    | ४,०००।-  |
| ३५ | रेन्टल तथा क्याटरिड सेवा                                                            | ५,०००।-  |
| ३६ | सवारी साधनद्वारा यात्रु ओसार पसार गर्ने Ride Sharing र व्यवसाय ढुवानी जस्ता व्यवसाय | १०,०००।- |
| ३७ | गाडी भाडामा लगाउने व्यवसाय                                                          | ५,०००।-  |
| ३८ | साइकल/मोटरसाइकल भाडामा लगाउने व्यवसाय                                               | ३,०००।-  |
| ३९ | प्याकेजिड व्यवसाय                                                                   | ३,०००।-  |
| ४० | रिप्याकेजिड व्यवसाय                                                                 | ५,०००।-  |
| ४१ | आर्ट सम्बन्धी (रङ, क्यानभास, कलाकृति, पेन्टिङ)                                      | १,०००।-  |
| ४२ | फोटो प्रदर्शनी व्यवसाय                                                              | १,०००।-  |
| ४३ | केयर गिभर व्यवसाय                                                                   | ३,०००।-  |
| ४४ | ट्याटु हाउस                                                                         | ३,०००।-  |
| ४५ | धर्मकाँटा (Weighbridges)                                                            | ५,०००।-  |
| ४६ | पार्किङ व्यवसाय                                                                     |          |
|    | (१) भूमिगत स्थान वा मेकानिकल                                                        |          |
|    | (१) २६ वा सोभन्दा बढी गाडी क्षमता                                                   | ८,०००।-  |
|    | (२) २५ गाडी क्षमता                                                                  | ५,०००।-  |
|    | (२) खुल्ला स्थान                                                                    |          |
|    | (१) २६ वा सोभन्दा बढी गाडी क्षमता                                                   | १०,०००।- |
|    | (२) २५ गाडी क्षमता                                                                  | ८,०००।-  |

|    |                                                                         |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ४७ | अस्थाई यात्रुसेवा तथा सहायता केन्द्र संचालन (प्रति केन्द्र प्रति महिना) | रु.१०००।- |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|

(ड) माथि उल्लिखित भए बमोजिम करको वर्गीकरणमा नपरेका उद्योग/व्यवसाय/अन्यमा तपसिल बमोजिमको पूँजीको आधारमा कर लाग्नेछ।

- (१) क श्रेणी २ करोड भन्दा माथि भएमा रु. ५०,०००।-
- (२) ख श्रेणी १ करोड भन्दा माथि २ करोड सम्म रु. ४०,०००।-
- (३) ग श्रेणी ५० लाख भन्दा माथि १ करोड सम्म रु. ३०,०००।-
- (४) घ श्रेणी ३० लाख भन्दा माथि ५० लाख सम्म रु. २०,०००।-
- (५) ङ श्रेणी १० लाख भन्दा माथि ३० लाख सम्म रु. १०,०००।-
- (६) च श्रेणी १० लाख सम्म रु. ८,०००।-

### नोट:-

- (१) कुनै पनि छुट/सुविधाहरू प्राप्त गर्न नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ।
- (२) बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नयाँ शाखा खोल्नको लागि अनिवार्य रूपमा कार्यालयको भवनमा पार्किङको व्यवस्था हुनु पर्नेछ। कम्तिमा ५ वटा चार पाँघ्रे र १० वटा २ पाँघ्रे सवारी साधन पार्किङ गर्ने क्षमता हुनपर्नेछ।
- (३) यस नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गरी सोही वडामा गोदाम भएमा सो गोदामको सुचिकृत हुन पर्ने तर गोदामको व्यवसाय कर तिर्न पर्नेछैन।

तर एउटा वडामा व्यवसाय दर्ता भई अर्को वडामा शाखा वा गोदाम राखेमा त्यस्तो व्यवसायले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सूचिकृत हुनुपर्नेछ। त्यस्तो गोदाम/शाखा कार्यालयको व्यवसाय करमा ५०% छुट पाउनेछ।

- (४) यस नगरपालिकामा कुनैपनि सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाबाट सञ्चालन हुने उद्योग, कलकारखाना, यातायात, घरजग्गा कारोबार आदि दर्ता वा नवीकरण

गर्दा बडा कार्यालय वा नगरपालिकाबाट जारी कर चुक्ता प्रमाणपत्र र सिफारिस बिना दर्ता र नवीकरण नगर्न सम्बन्धित निकाय यातायात, घरेलु, कर र मालपोतसँग समन्वय/पत्राचार गर्नुपर्नेछ।

**अनुसूची-५**  
**(दफा ६ सँग सम्बन्धित)**  
**जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर**

|                                                                                     |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>जीवजन्तु कर</b>                                                                  |  |           |
| (१) छाला ठूलो प्रति गोटा                                                            |  | ३०।-      |
| (२) छाला सानो प्रति गोटा                                                            |  | १५।-      |
| (३) हाड प्रति किलो                                                                  |  | १।-       |
| (४१) सिङ, खुर प्रति किलो                                                            |  | २।-       |
| (५) प्वाँख प्रति किलो                                                               |  | १।-       |
| <b>कवाडी</b>                                                                        |  |           |
| (१) खाली सिसी (बियर) बोतल                                                           |  | १।-       |
| (२) खाली सिसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम एलभन्दा माथि                                    |  | ०.५० पैसा |
| (३) खाली सिसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम एलभन्दा तल                                      |  | ०.२५ पैसा |
| (४) प्लाष्टिक बोतल प्रति के.जी. (भाँडाकुँडा, पुराना जुत्ता, चप्पल, ग्यालेन, जर्किन) |  | १।-       |
| (५) खाली बोरा                                                                       |  |           |
| (क) ५० के.जी. सम्म खाद्यान्न अट्ने प्लाष्टिकका बोरा) प्रतिगोटा                      |  | ०.२५ पैसा |
| (ख) ५० के.जी. सम्म (खाद्यान्न अट्ने जुटका बोरा) प्रतिगोटा                           |  | ०.२५ पैसा |
| (ग) १०० के.जी. सम्म (खाद्यान्न अट्ने जुटका बोरा) प्रति गोटा                         |  | ०.५० पैसा |
| (६) तेलको टिन                                                                       |  |           |
| (क) १० लिटर भन्दा बढी अट्ने बढी प्रति गोटा                                          |  | २।-       |
| (ख) १० लिटर भन्दा कम अट्ने प्रति गोटा                                               |  | १।-       |

| क्र.सं. | विवरण                                                     | दर रु.    |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|
|         | (१) भिण्डु (प्राकृतिक र कृत्रिम ऊनका टुक्रा) प्रति के.जी. | २१-       |
|         | (२) गार्मेन्टको कपडाको टुक्रा प्रति के.जी.                | ११-       |
|         | (३) जलेको मोबिल प्रति लिटर                                | ०.५० पैसा |
|         | (४) जुट र प्लास्टिकका बोरा प्रति के.जी.                   | ०.१५ पैसा |
|         | (५) कार्पेटका टुक्रा प्रति के.जी.                         | ११-       |
|         | (६) टायर ट्युब प्रति के.जी.                               | ११-       |
|         | (७) थोत्रो टिन प्रति के.जी                                | ०.५० पैसा |
|         | (८) पुरानो ड्रम प्रति के.जी                               | ०.५० पैसा |
|         | (९) पुरानो कागज प्रति के.जी.                              | ११-       |
|         | (१०) टुक्राहरु पत्रु भई                                   |           |
|         | (क) फलाम प्रति के.जी.                                     | २१-       |
|         | (ख) अन्य धातु (पित्तल, तामा आदी) प्रति के.जी.             | २१-       |
|         | (ग) थोत्रिएर काम नलाग्ने मेसिनरी औजार                     | २१-       |
|         | (११) पोलिथिन पाइपका टुक्राहरु प्रति के.जी.                | ११-       |
|         | (१२) सिसा (लिड) को धुलो वा टुक्रा प्रति के.जी.            | ३१-       |
|         | (१३) काँचको धुलो र टुक्रा प्रति के.जी.                    | ०.५० पैसा |

### नोट:-

- (१) जडीबुटी कर सम्बन्धमा अध्ययन गरी नगर कार्यपालिकाको निर्णयानुसार हुनेछ।
- (२) यस अनुसूची अन्तर्गत थप बस्तुको शुल्क निर्धारण गरी राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने भएमा राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा नगर सभाबाट अनुमोदन गर्ने गरी नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी राजस्व सङ्कलन गर्न सकिनेछ।

**अनुसूची -६**  
**दफा ८ सँग सम्बन्धित**  
**विज्ञापन कर**

| विवरण                                                                                                                                                                                                                 | रकम रु. | कैफियत |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| संरचना निर्माण र अनुमति शुल्क                                                                                                                                                                                         |         |        |
| विज्ञापन राख्न निर्माण हुने संरचनाको अनुमति प्रदान गर्दा त्यस्तो संरचनाको बर्षिक प्रति बर्गफिट<br><br>(यदि प्रति बर्गफिट ५ रुपैयाका दरले हिसाव गर्दा रु ५०००/- भन्दा कम हुन गएमा न्यूनतम ५०००/- अनुमति शुल्क लाग्ने ) | ५.००    |        |
| निर्माण भएको संरचनाको प्रत्येक वर्ष नवीकरण शुल्क<br><br>(यदि २ रुपैयाका दरले हिसाव गर्दा रु २५००/- भन्दा कम हुन गएमा न्यूनतम २५००/- नवीकरण शुल्क प्राप्त गरी नवीकरण गर्न सकिने)                                       | २.००    |        |
| विज्ञापन कर                                                                                                                                                                                                           |         |        |
| प्लेक्स,नियोन साइन, ग्लो साइन, 2D, 3D, ACP बोर्ड, ड्राइ भिजन, लगायतका विज्ञापन सामग्री प्रति बर्ग फिट वार्षिक                                                                                                         | १००.००  |        |
| LED बोर्ड प्रति बर्गफिट प्रति वर्ष                                                                                                                                                                                    | ३००.००  |        |
| सवारी साधनमा गरिने विज्ञापन प्रति बर्ग फिट                                                                                                                                                                            | ५०.००   |        |
| बेलुन, लाइट वा अन्य कुनै विधिबाट गरिने विज्ञापन प्रति दिन                                                                                                                                                             | १०००.०० |        |
| परिचयपाटी वा डिपिएस बोर्डमा विज्ञापन गर्न चाहेमा ३० बर्गफिट सम्मको वार्षिक कर नलाग्ने र ३० बर्ग फिट भन्दा माथीको बोर्डमा प्रति वर्ष (बढी भएको वर्गफुटको मात्र)                                                        | १००.००  |        |
| व्यवसाय दर्ता गरी व्यवसाय कर तिरेका करदातालाई ३० बर्ग फिट भन्दा माथीको परिचयपाटी वा डिपिएस बोर्ड राख्न चाहेमा प्रति बर्ग फिट वार्षिक (बढी भएको वर्गफुटको मात्र)                                                       | १००.००  |        |

|                                                                                                                                                 |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| परिचयपाटी वा डिपिएस बोर्डमा विज्ञापन गर्न चाहेमा प्रति बर्गफिट बार्षिक                                                                          | १००.००                            |  |
| बहाल कर                                                                                                                                         |                                   |  |
| निजी घर तथा सार्वजनिक जग्गामा कुनै संरचना निर्माण गरे वा सार्वजनिक घर तथा जग्गामा कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकायले बहाल प्राप्त गर्ने भए बहालकर | १० प्रतिशत                        |  |
| कार्यक्रम सभा सम्मेलनको अनुमति शुल्क                                                                                                            |                                   |  |
| कुनै सभा, सम्मेलन, खेलकुद, कन्सर्ट वा कार्यक्रममा हुने विज्ञापनको                                                                               | पहिलो दिनको<br>७०००.००            |  |
| (विज्ञापन नगर्ने तथा सेवा मुलक कार्यमा भने यो व्यवस्था आकर्षित हुनेछैन।)                                                                        | त्यसपछि प्रत्येक दिनको<br>३०००.०० |  |

**नोट:**

- अनुमति नलिइ विज्ञापन गर्ने गराउने माथी उल्लेखित दरको दुइ गुणा जरिवाना गरिनेछ।
- विज्ञापन राख्न निर्माण हुने संरचनाको अनुमति प्रदान गर्दा लाग्ने बर्षिक अनुमति शुल्कको १५ प्रतिशत धरौटी वापत राख्नुपर्नेछ।
- सार्वजनिक घर तथा जग्गा कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकायको स्वामित्वमा नभएमा राजस्व परामर्श समितिको सिफारिशमा कार्यपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुने।
- माथी उल्लेखित दर बाहेकको अवस्थामा राजस्व परामर्श समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने।
- सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कुनै संरचना निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने र त्यस्तो विधिबाट निर्माण हुने संरचनाको दर राजस्व परामर्श समितिको सिफारिशमा कार्यपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुने।
- अनुमतिको अवधि सकिएपछि नवीकरण गर्न नआएमा पालिका आफैले त्यस्ता संरचना र तिनमा रहेको विज्ञापन हटाउन सक्ने र हटाउँदा लागेको खर्च धरौटी रकमबाट असूल गर्ने। धरौटी रकमबाट नपुग भएमा संरचना निर्माणको अनुमति लिने व्यक्ति तथा संस्थाबाट असूल गर्ने।

अनुसूची -७  
(दफा ९ सँग सम्बन्धित)  
मनोरञ्जन कर

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८३ को दफा (५) अनुसूची -३ ले  
तोके बमोजिमको दरमा मनोरञ्जन कर लाग्नेछ।



**अनुसूची -८**  
**(दफा १० सँग सम्बन्धित)**  
**बहाल बिटौरी शुल्क**

नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका वा सार्वजनिक ऐलानी पर्ती जग्गा वा भवनमा हाटबजार वा पसल वा विशेष मेला पर्वमा बिटौरी शुल्क लगाउन सक्नेछ। तर नगरपालिकाले निषेध गरेको क्षेत्र (पुल, सडको छेउछाउ, फुटपाथ) मा हाटबजार वा यस्तै प्रकृतिका मेला, पसल राख्न पाइनेछैन। सार्वजनिक जग्गा (वडा कार्यालयले तोकिदिएको क्षेत्रफल) मा गरिने हाटबजार वा पसल वा मेलाको हकमा निम्न उल्लेखित दरको आधारमा वडा कार्यालयले स्वीकृति दिनेछ।

| क्र.सं. | विवरण                                                             | दर रु. |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| १       | अस्थायी हाट बजार तथा घुम्ती पसल व्यवसायमा पटके कर                 |        |
|         | क. राँगा, भैंसी प्रति गोटा                                        | २०।-   |
|         | ख. खसी, बोका, बाख्रा प्रति गोटा                                   | १०।-   |
|         | ग. हाँस कुखुरा प्रति गोटा                                         | १।-    |
| २       | मेला महोत्सव (नगरभित्र सञ्चालन हुने मेलाहरु) स्टल शुल्क (एकमुष्ट) |        |
|         | क. २ दिनसम्मको प्रति वर्गफिट                                      | ०.५।-  |
|         | ख. १ हप्तासम्मको प्रति वर्गफिट                                    | १।-    |
|         | ग. ८ दिन देखि माथि प्रति वर्गफिट थप                               | १।-    |

**अनुसूची -९**  
**(दफा ११ सँग सम्बन्धित)**  
**सवारी साधन पार्किङ शुल्क**

| क्र.सं. | विवरण                                                                                           | दररेट<br>प्रतिघण्टा | अतिरिक्त समय<br>अधिकतम (प्रति दिन)<br>रु. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| १       | बस, ट्रक, लहरी, डोजर, व्याक्होलोडर,<br>ग्रेडर, स्क्याभेटर, लोडर, रोलर<br>लगायत हेभी इक्विपमेन्ट | ५०१-                | २५०१-                                     |
| २       | मिनिबस, मिनी ट्रक                                                                               | ४०१-                | २००१-                                     |
| ३       | कार, जिप, भ्यान/माइक्रोबस                                                                       | २५१-                | १००१-                                     |
| ४       | मोटरसाइकल/स्कुटर                                                                                | १०१-                | ५०१-                                      |

**अनुसूची -१०**  
**(दफा १२ सँग सम्बन्धित)**  
**सेवा शुल्क दस्तुर**

**(क) व्यक्तिगत सिफारिस/प्रमाणित**

| क्र.सं. | विवरण                                                                | दर रु. |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| १       | निवेदन                                                               | १०१-   |
| २       | उजुरी रोक्का निवेदन                                                  | ५०१-   |
| ३       | नामथर संशोधन प्रति सिफारिस                                           | १००१-  |
| ४       | फरक नामथर प्रमाणित दस्तुर                                            | २००१-  |
| ५       | उजुरी रोक्का सम्बन्धी धरौटी (सार्वजनिक सरोकार विषय बाहेक)            | ५००१-  |
| ६       | आदिवासी ,जनजाती ,दलित आदि सम्बन्धी सिफारिस                           | १००१-  |
| ७       | जन्ममिति, ठेगाना संशोधन सिफारिस                                      | १००१-  |
| ८       | जन्म मिति प्रमाणित सिफारिस                                           |        |
|         | (क) नेपाली भाषामा                                                    | २००१-  |
|         | (ख) अंग्रेजी भाषामा                                                  | ३००१-  |
| ९       | विवाहित/अविवाहित प्रमाणित सिफारिस                                    |        |
|         | (क) नेपाली भाषामा                                                    | ३००१-  |
|         | (ख) अंग्रेजी भाषामा                                                  | ५००१-  |
| १०      | नाता कायम दस्तुर/नाता प्रमाणित दस्तुर/नाता प्रमाणित प्रतिलिपि दस्तुर |        |
|         | (क) नेपाली भाषामा                                                    | ३००१-  |
|         | (ख) अंग्रेजी भाषामा                                                  | ५००१-  |
| ११      | संरक्षक सिफारिस, प्रमाणित (व्यक्तिगत)                                | १००१-  |
| १२      | संरक्षक सिफारिस, प्रमाणित (संस्थागत)                                 | २००१-  |
| १३      | स्थायी बसोबास सिफारिस                                                | २००१-  |

| क्र.सं.                                                                                                                    | विवरण                                                            | दर रु.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| १४                                                                                                                         | स्वदेशी नागरिकको अस्थाई बसोबास प्रमाणित                          | १,०००।- |
| १५                                                                                                                         | विदेशी नागरिकको अस्थाई बसोबास प्रमाणित                           | ५,०००।- |
| १६                                                                                                                         | तालाबन्दी बहाल कोठा खोल्न सेवा शुल्क दस्तुर                      | ५००।-   |
| १७                                                                                                                         | फिराद/उजुरी दर्ता                                                | २००।-   |
| १८                                                                                                                         | प्रतिउत्तर-पत्र दर्ता                                            | १००।-   |
| १९                                                                                                                         | पुरक निवेदन दर्ता                                                | १००।-   |
| २०                                                                                                                         | मिलापत्र निवेदन दर्ता                                            | १००।-   |
| २१                                                                                                                         | अन्तरकालिन आदेश निवेदन दर्ता                                     | १००।-   |
| २२                                                                                                                         | उजुरीमा लेखाई/टाईप/मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउने निवेदन दर्ता | ५०।-    |
| २३                                                                                                                         | निर्णय/फैसला/मिलापत्र कार्यान्वयन निवेदन दर्ता                   | ५०।-    |
| २४                                                                                                                         | नाम, थर र वतन संशोधन निवेदन दर्ता                                | ५०।-    |
| २५                                                                                                                         | थप प्रमाण लगाई/राखी पाउँ निवेदन दर्ता                            | २०।-    |
| २६                                                                                                                         | प्रतिलिपी/नक्कल उतार प्रमाणित प्रतिपाना A4 साईज प्रतिपृष्ठ       | १०।-    |
| २७                                                                                                                         | विवरण वा अभिलेखको फोटोकपी माग A4 साईज प्रतिपृष्ठ                 | १०।-    |
| <b>राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को अनुसूची ३ ले अनिवार्य गरेका व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी दस्तुर</b> |                                                                  |         |
| २८                                                                                                                         | दर्ता किताब निरीक्षण                                             | १०।-    |
| २९                                                                                                                         | विवरण सच्याउने दस्तुर                                            | १०।-    |
| ३०                                                                                                                         | व्यक्तिगत घटना दर्ता(३५ दिन नाघेपछि)                             | २००।-   |
| ३१                                                                                                                         | कन्सुलर प्रमाणीकरण (प्रति प्रमाणीकरण)                            | ५००।-   |
| ३२                                                                                                                         | परिचयपत्रको बिलम्ब दस्तुर                                        | २००।-   |
| ३३                                                                                                                         | परिचयपत्रको प्रतिलिपि दस्तुर                                     | ५००।-   |
| ३४                                                                                                                         | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको नक्कल दस्तुर                   | ५००।-   |

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                                                                        | दर रु. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ३५      | व्यक्तिगत घटना तथा नागरिक अभिलेख दर्ता किताब हेरेको दस्तुर                                                                                                   | २००।-  |
| ३६      | परिचय नम्बर वा व्यक्तिगत विवरणको प्रमाणीकरणको सेवा वापत प्रति व्यक्ति प्रति पटकको दस्तुर                                                                     | ५।-    |
| ३७      | जैविक विवरण तथा परिचयपत्रको प्रमाणीकरणको सेवा वापत प्रति व्यक्ति प्रति पटकको दस्तुर                                                                          | १०।-   |
| ३८      | परिचय नम्बर वैयक्तिक विवरण जैविक विवरण वा परिचयपत्रको प्रमाणीकरण भई सम्बन्धित व्यक्तिको अन्य वैयक्तिक विवरण प्रदान गरे वापत प्रति व्यक्ति प्रति पटकको दस्तुर | २०।-   |

### (ख) घरजग्गासम्बन्धी सिफारिस

| क्र.सं. | विवरण                                            | दर रु. |
|---------|--------------------------------------------------|--------|
| १       | घरजग्गा नामासारी सिफारिस प्रति सिफारिस           | २००।-  |
| २       | जोत कायम र नामसारी प्रति आना                     | २०।-   |
| ३       | बेनिस्सा/स्ववासी घरजग्गा दर्ता/नामसारी प्रति आना | ५०।-   |
| ४       | बिर्ता जग्गा दर्ता/नामसारी प्रति आना             | १००।-  |
| ५       | मोही नामसारी प्रति आना                           | २५।-   |
| ६       | मोही लगत कट्टा प्रति आना                         |        |
|         | क. एकाघर परिवार भित्र                            | २०।-   |
|         | ख. अन्यको हकमा                                   | ५०।-   |
| ७       | लालपूर्जा प्रतिलिपी प्रति सिफारिस                | ३००।-  |
| ८       | जग्गा धनीपूर्जा हराएको सिफारिस                   | ५००।-  |

| क्र.सं. | विवरण                                                  | दर रु.             |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| ९       | चारकिल्ला प्रमाणित                                     |                    |
|         | क. ४ आनासम्म                                           | २००।-              |
|         | ख. ४ आना देखि माथि ८ आनासम्म                           | ३००।-              |
|         | ग. ८ आना देखि माथि १२ आनासम्म                          | ४००।-              |
|         | घ. १२ आना देखि माथि १ रोपनीसम्म                        | ५००।-              |
|         | ङ. १ रोपनी भन्दा माथि प्रति आना                        | ५०।-               |
| १०      | उद्योग चारकिल्ला प्रमाणित प्रति आना                    | १००।-              |
| ११      | बाटो प्रमाणित दस्तुर                                   | २००।-              |
| १२      | धारा, बिजुली जडान सिफारिस प्रति सिफारिस                | २००।-              |
| १३      | धारा, बिजुली जडान(उद्योग) सिफारिस प्रति सिफारिस        | १,०००।-            |
| १४      | धारा, विद्युत, शेयर तथा अन्य नामसारी सिफारिस           | ५००।-              |
| १५      | टेलिफोन जडान सिफारिस                                   | ५००।-              |
| १६      | सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिस                        | १००।-              |
| १७      | घर पाताल                                               |                    |
|         | क. घर पाताल प्रमाणित                                   | २००।-              |
|         | ख. प्राकृतिक प्रकोपबाट घर पातालको सिफारिस              | निःशुल्क           |
| १८      | तीनपुस्ते फोटा टाँस सिफारिस                            | २००।-              |
| १९      | सर्जमिन मुचुल्का/सूचना टाँस (व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि) | २००।-              |
| २०      | घरबाटो सिफारिस/बकसपत्र सिफारिस (प्रतिआना)              |                    |
|         | क. बाटो नभएको                                          | २००।-              |
|         | ख. गोरेटो बाटो                                         | ३००।-              |
|         | ग. कच्चि मोटरबाटो                                      | ५००।-              |
|         | घ. पक्की मोटर बाटो                                     | ७००।-              |
|         | ङ. त्रिभुवन राजपथ/सुरुङ मार्ग                          | ९००।-              |
|         | च. प्लानिङ जग्गा (प्लानिङ गर्ने अवस्थामा)              | १,५००।-            |
|         | छ. अंशवन्डा प्रयोजन                                    | १,०००।-<br>एकमुष्ट |

| क्र.सं. | विवरण                                                                        | दर रु.  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ज.      | छुट जग्गा दर्ता सिफारिस (प्रतिआना)                                           |         |
|         | क. बाटो नभएको                                                                | २००।-   |
|         | ख. गोरेटो बाटो                                                               | ३००।-   |
|         | ग. कच्चि मोटरबाटो                                                            | ५००।-   |
|         | घ. पक्की मोटर बाटो                                                           | ७००।-   |
|         | ड. त्रिभुवन राजपथ/सुरुङ मार्ग                                                | ९००।-   |
| झ.      | ज.घ.प्र. पूर्जामा घर जनाउने प्रति सिफारिस                                    | ३००।-   |
| ञ.      | घर जग्गा अन्तर्गत १० लाख सम्मको मूल्याङ्कनमा कर नलाग्नेमा सेवा शुल्क एकमुष्ट | ३००।-   |
| ट.      | मुलुकी देवानी संहिताको व्यवस्था बमोजिम लेनदेन रोहबर (लिखत प्रमाणीकरण) दस्तुर | २००।-   |
| ठ.      | जग्गा बैनापट्टा/जग्गा बैनापट्टा फिर्ता प्रमाणीकरण दस्तुर                     | २००।-   |
| ड.      | जग्गा बैनापट्टा प्रमाणीकरणका लागि फिल्ड निरीक्षण/एकीन सेवा शुल्क             | ५,०००।- |
| ढ.      | घर बहाल सम्झौता पत्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा प्रमाणीकरण दस्तुर              | २००।-   |
| ण.      | मालपोत सम्बन्धी दस्तुर (भू-सेवा) (भू-सेवा सम्बन्धी सेवा लिएमा मात्र)         | २,०००।- |

**(क) भवन निर्माण नक्सा प्रमाणित सम्बन्धी सिफारिस, दस्तुर**

| क्र.सं. | विवरण                                                                | दर रु.  |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| १       | नक्सा बनाउने डिजाईनर/इन्जिनियरको सूचीकृत                             | ५,०००।- |
| २       | व्यक्तिगत घर बनाउने ठेकेदार भूकम्प प्रतिरोधात्मक तालिम लिएको सूचीकृत | ३,०००।- |
| ३       | अमिन सेवा शुल्क लालपूर्जा अनुसार प्रति आना                           | २५०।-   |

| क्र.सं. | विवरण                                                                                   | दर रु.                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ४       | <b>नक्सा पास दस्तुर</b>                                                                 |                                               |
|         | (१) ३००० वर्गफिट सम्मको आवासीय भवनको लागि प्रति वर्गफिट                                 | १०१-                                          |
|         | (२) ३००० वर्गफिट सम्मको व्यापारिक भवनको लागि प्रति वर्गफिट                              | १५१-                                          |
|         | (३) ३००० वर्गफिट देखि ५००० वर्गफिट सम्मको आवासीय भवनको प्रति वर्गफिट                    | २०१-                                          |
|         | (४) ३००० वर्गफिट देखि ५००० वर्गफिट सम्मको व्यापारिक तथा कम्प्लेक्सको प्रति वर्गफिट      | २५१-                                          |
|         | (५) ५००० वर्गफिट भन्दा माथिको सम्पूर्ण आवासीय, व्यापारिक तथा कम्प्लेक्सको प्रति वर्गफिट | ३५१-                                          |
| ५       | घर नक्सा नियमित                                                                         | नक्सा पास दस्तुरमा उल्लेख भए बमोजिम लाग्नेछ । |
| ६       | नक्सा परिमार्जन(पूर्व स्वीकृती लिएमा)                                                   | नक्सा पास दस्तुरको २५% ले हुन आउने रकम        |
| ७       | घर निर्माण सम्पन्न                                                                      | २,०००१-                                       |
| ८       | नक्सा निवेदन                                                                            | १,०००१-                                       |
| ९       | नक्सा प्रतिलिपि (प्रति प्रतिलिपि)                                                       | ५००१-                                         |
| १०      | सिमेन्ट जोडाई वाल प्रणाली टहरा (आवसीय) प्रति वर्गफिट/प्रिफ्याब प्रणाली                  | ५१-                                           |
| ११      | सिमेन्ट जोडाई वाल प्रणाली टहरा (व्यापारिक) प्रति वर्गफिट/प्रिफ्याब प्रणाली              | १०१-                                          |
| १२      | जस्ता प्रणाली टहरा(आवासीय) प्रति वर्गफिट                                                | ५१-                                           |



|    |                                                                                                                      |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| १३ | जस्ता प्रणाली टहरा(व्यापारिक) प्रति वर्गफिट                                                                          | १०।-    |
| १४ | अस्थायी स्वीकृत विना भवन निर्माण कार्य (डि. पि.सी.) सम्म निर्माण भएमा जरिवाना प्रति वर्गफिट                          | ५।-     |
| १५ | अस्थायी स्वीकृत विना भवन निर्माण कार्य १ तल्ला सम्म निर्माण भएमा जरिवाना प्रति वर्गफिट                               | १०।-    |
| १६ | अस्थायी स्वीकृत विना भवन निर्माण कार्य २ तल्ला सम्म निर्माण भएमा जरिवाना प्रति वर्गफिट                               | २०।-    |
| १७ | अस्थायी स्वीकृत विना भवन निर्माण कार्य ३ तल्ला वा सो भन्दा माथि सम्म निर्माण भएमा जरिवाना प्रति वर्गफिट              | ३०।-    |
| १८ | अस्थायी स्वीकृत गरी स्थायी स्वीकृत नगरी भवन निर्माण कार्य १ तल्ला सम्म निर्माण भएमा जरिवाना प्रति वर्गफिट            | ५।-     |
| १९ | अस्थायी स्वीकृत गरी स्थायी स्वीकृत नगरी भवन निर्माण कार्य २ तल्ला सम्म निर्माण भएमा जरिवाना प्रति वर्गफिट            | १०।-    |
| २० | अस्थायी स्वीकृत गरी स्थायी स्वीकृत नगरी भवन निर्माण कार्य ३ वा सो भन्दा माथि सम्म निर्माण भएमा जरिवाना प्रति वर्गफिट | १५।-    |
| २१ | घर नक्साको फिल्ड रेखाङ्कन तथा विथ लगत नगरपालिकाबाट गराएमा                                                            | १,५००।- |
| २२ | आवासीय घरको कम्पाउण्ड वालको नक्सा पास दस्तुर प्रति रनिङ फिट                                                          | ५।-     |
| २३ | व्यवसायिक घरको कम्पाउण्ड वालको नक्सा पास दस्तुर प्रति रनिङ फिट                                                       | १०।-    |
| २४ | घरको मोहडा परिवर्तन मापदण्ड भित्र, क्षेत्रफल नबढ्ने गरी                                                              | ५,०००।- |

|    |                                                                                         |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| २५ | घडेरी विकास/जग्गा प्लानिङ प्रति आना                                                     | ५,०००।- |
| २६ | जग्गा संरक्षण (कम्पाउण्ड) डोजर सञ्चालन/जग्गा सुधार प्रति आना                            | ५,०००।- |
| २७ | <b>नक्सा अभिलेखीकरण</b>                                                                 |         |
|    | (१) ३००० वर्गफिट सम्मको आवासीय भवनको लागि प्रति वर्गफिट                                 | १०।-    |
|    | (२) ३००० वर्गफिट सम्मको व्यापारिक भवनको लागि प्रति वर्गफिट                              | १५।-    |
|    | (३) ३००० वर्गफिट देखि ५००० वर्गफिट सम्मको आवासीय भवनको प्रति वर्गफिट                    | २०।-    |
|    | (४) ३००० वर्गफिट देखि ५००० वर्गफिट सम्मको व्यापारिक तथा कम्प्लेक्सको प्रति वर्गफिट      | २५।-    |
|    | (५) ५००० वर्गफिट भन्दा माथिको सम्पूर्ण आवासीय, व्यापारिक तथा कम्प्लेक्सको प्रति वर्गफिट | ३५।-    |
| २८ | <b>नक्सा नामसारी</b>                                                                    |         |
|    | (१) ३००० वर्गफिट सम्मको आवासीय भवनको लागि प्रति वर्गफिट                                 | ५।-     |
|    | (२) ३००० वर्गफिट सम्मको व्यापारिक भवनको लागि प्रति वर्गफिट                              | ७।-     |
|    | (३) ३००० वर्गफिट देखि ५००० वर्गफिट सम्मको आवासीय भवनको प्रति वर्गफिट                    | ७।-     |
|    | (४) ३००० वर्गफिट देखि ५००० वर्गफिट सम्मको व्यापारिक तथा कम्प्लेक्सको प्रति वर्गफिट      | १०।-    |
|    | (५) ५००० वर्गफिट भन्दा माथिको सम्पूर्ण आवासीय, व्यापारिक तथा कम्प्लेक्सको प्रति वर्गफिट | १५।-    |
|    | (६) नक्सा नामसारी ३ पुस्ते भित्र प्रति वर्गफिट                                          | १।-     |

**नोट :-**

- (१) नगरपालिका भएपछि नक्सा पास भएको र २ वर्ष समाप्त भएमा थप २ वर्ष भित्र स्वीकृत लिएको मिति देखि जम्मा ४ वर्ष नबढ्ने गरी ५% का दरले शुल्क लिई नक्सा नवीकरण गर्ने।
- (२) नगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत भएको मितिले ४ वर्ष सम्म निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएमा, नयाँ नक्सा सरह निवेदन दर्ता गरि सर्जिमिन तथा प्रचलित भवन निर्माण मापदण्ड बमोजिम पुनः नक्सा स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । यसरी नक्सा स्वीकृत गर्दा नयाँ नक्सा सरह लाग्ने दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।
- (३) नगरपालिका भएपछि नक्सा पास भएको घरको मापदण्ड विपरित सेटब्याक भित्र रहने गरी बरण्डा बनाएमा/तानेमा प्रति वर्गफिट रु. २,५००।- का दरले जरिवाना लाग्नेछ।
- (४) एकभन्दा बढी व्यक्तिहरु बीच घर बिक्री भई नक्सा पास नामसारी गर्न आउँदा अघिल्ला व्यक्तिहरुले नक्सा पास नामसारी नगरिएको र पछिल्लो व्यक्तिको नाममा नक्सा पास नामसारी गर्दा अघिल्लो व्यक्तिहरुको क्रमसंख्या अनुसार नामसारी नगरिएका प्रति संख्याको हालको नक्सा नामसारी दस्तुरको २५ प्रतिशत थप शुल्क लिई नक्सा नामसारी गर्ने।
- (५) २०७२ साल पश्चात नक्सा स्वीकृती बिना निर्माण सम्पन्न भएका तर तत्कालीन प्रचलित भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्डहरु पुरा गरेको तथा नापी नक्सा र स्थलगत अवस्था परिवर्तन भएको प्रमाणीत भएमा भवनहरुको हकमा प्रचलित नक्सापास दस्तुरको ३ गुणा शुल्क असूल गरी त्यस्ता भवनहरुको नक्सा स्वीकृती प्रदान गर्न सकिनेछ ।
- (६) मापदण्ड भित्र पास भएको घरको नक्सा संशोधन गर्दा पूर्व स्वीकृति लिएमा हालको नक्सा पास दस्तुरको २५ प्रतिशत शुल्क लिने र पूर्व स्वीकृति नलिई मापदण्ड भित्र निर्माण भएका घरको संशोधन गरेमा हालको नक्सा पास दस्तुरको शतप्रतिशत शुल्क लिई नक्सा पास गर्ने।

- (७) मापदण्ड भित्र पास भएको घरको तल्ला थप गर्दा पूर्व स्वीकृति लिएमा प्रतिवर्ग फिट हालको नक्सा पास दस्तुर अनुसार लिने र पूर्व स्वीकृति नलिई मापदण्ड भित्र निर्माण भएका घरको तल्ला थप गरेमा हालको नक्सा पास दस्तुरको शतप्रतिशत जरिवाना लिई नक्सा पास गर्ने।
- (८) हाउजिङ्ग र अपार्टमेन्ट संरचनाहरूको नक्सा स्वीकृति (building permit) प्रदान गर्दा, प्रचलित नक्सा पास दस्तुरको दररेटमा थप एक दसमलव (१.५) गुणा शुल्क असूल गरी नक्सा स्वीकृती प्रदान गर्न सकिनेछ ।
- (९) माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनी नक्सा स्वीकृती बिना निर्माण भएका संरचनाको नक्सा स्वीकृती गर्दा नगरपालिकालाई दिर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने वा प्रतिकुल असर पर्ने देखिएमा, त्यस्ता संरचनाको नक्सा अस्वीकृत गर्न सकिनेछ । तर स्वीकृत भई सकेको नक्साको हकमा प्रचलित कानून अनुसार एक तह माथिको अधिकारीबाट रद्द गर्न सकिनेछ ।

### (ख) व्यवसाय/उद्योग तथा संघ संस्थासम्बन्धी सिफारिस तथा सेवा शुल्क

| क्र.सं. | विवरण                                                                                | दर रु.     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| १       | केबलकार/मोनोरेल सञ्चालन अनुमती शुल्क                                                 | ८,००,०००।- |
| २       | केबलकार/मोनोरेल/बज्जीजम्प/साईकिलिङ/जिपलाइन सञ्चालन स्थानीय सेवा शुल्क(प्रवेश टिकटमा) | ३ प्रतिशत  |
| ३       | सञ्चार टावर राख्न सिफारिस                                                            | १०,०००।-   |
| ४       | दूरसञ्चार                                                                            |            |
|         | क. भूमिगत केबुल मेनहोल                                                               | ३,०००।-    |
|         | ख. टेलिफोन क्याबिनेट प्रति                                                           | १,०००।-    |
|         | ग. केबुल तार तानेको प्रति साधारण खम्बा                                               | ३००।-      |
|         | घ. केबुल तारहरूको प्रति मिटर                                                         | १।-        |
| ५       | पिकनिक स्पोट दर्ता (प्रति स्पोट)                                                     | ५००।-      |
| ६       | डुङ्गा तथा जल बिहार अनुमती                                                           | २,०००।-    |

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                                         | दर रु.   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ७       | पशु होलिडि सेन्टर (अनुमती शुल्क)                                                                                              |          |
|         | क श्रेणी (१००० भन्दा माथि)                                                                                                    | ५०,०००।- |
|         | ख श्रेणी (५०१ देखि १००० सम्म)                                                                                                 | ३०,०००।- |
|         | ग श्रेणी (५०० सम्म)                                                                                                           | २०,०००।- |
| ८       | पशु होलिडि सेन्टरमा लाग्ने दररेट                                                                                              |          |
|         | क. राँगा, भैंसी प्रति गोटा                                                                                                    | २००।-    |
|         | ख. खसी, बोका, बाख्रा प्रति गोटा                                                                                               | ५०।-     |
|         | ग. हाँस, कुखुरा प्रति गोटा                                                                                                    | ५।-      |
| ९       | डिलरसिप सिफारिस प्रति सिफारिस                                                                                                 | १,०००।-  |
| १०      | व्यवसाय बन्द/ नाम परिवर्तन सिफारिस                                                                                            | ३००।-    |
| ११      | व्यवसाय ठाउँसारी/नामसारी                                                                                                      | ५००।-    |
| १२      | व्यवसाय नभएको सिफारिस                                                                                                         | ३००।-    |
| १३      | फोहरमैला सङ्कलन                                                                                                               |          |
|         | क. फोहरमैला सङ्कलन अनुमति दस्तुर                                                                                              | ५,०००।-  |
|         | ख. फोहरमैला सङ्कलन नवीकरण दस्तुर                                                                                              | १५,०००।- |
|         | नोट:- आ.व. शुरु भएको पहिलो तीन महिना भित्र नवीकरण नगरेमा जरिवाना                                                              | १०,०००।- |
| १४      | सहकारी दर्ता दस्तुर                                                                                                           | २,०००।-  |
| १५      | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा उद्योग विभागमा सिफारिस प्रति सिफारिस/अन्य स्थानबाट ठाउँसारी भई आउने उद्योगको प्रति सिफारिस |          |
|         | (क) कृषि/पशु                                                                                                                  | ५००।-    |
|         | (ख) साना घरेलु ७ लाखसम्म                                                                                                      | २,०००।-  |
|         | (ग) मझौला ७ लाख भन्दा माथि २० लाखसम्म                                                                                         | ५०००।-   |
|         | (घ) ठूला २० लाख भन्दा माथि ५० लाखसम्म                                                                                         | १०,०००।- |
|         | (ङ) ठूला ५० लाख भन्दा माथिका                                                                                                  | २०,०००।- |
| १६      | व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दस्तुर प्रति प्रमाणपत्र                                                                  | १००।-    |

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                                                                                          | दर रु.     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| १७      | <b>गैर सरकारी संस्था</b>                                                                                                                                                       |            |
|         | (१) गैसस नयाँ दर्ता (न.पा.मा दर्ता)                                                                                                                                            | १,०००।-    |
|         | (२) गैसस दर्ता सिफारिस दस्तुर                                                                                                                                                  | १,०००।-    |
|         | (३) गैसस सूचीकृत/अन्य जिल्लामा दर्ता भएको गैससको सूचीकृत                                                                                                                       | १,०००।-    |
|         | (४) गैसस प्रमाणपत्र प्रतिलिपि                                                                                                                                                  | ५००।-      |
|         | (५) गैससलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमती दस्तुर                                                                                                                               | १,०००।-    |
|         | (६) गैसस बन्द सिफारिस                                                                                                                                                          | ५००।-      |
|         | (७) गैसस नवीकरण सिफारिस दस्तुर                                                                                                                                                 | १,०००।-    |
|         | (८) स्थानीय(धार्मिक, सांस्कृतिक संघ/संस्था, मुनाफा रहित क्लब, टोल विकास संस्था, समूह, गुठी, जातीय संघ, परिषद, मण्डल, विकास निर्माणको लागि गठित उपभोक्ता समित) को नवीकरण दस्तुर | १,०००।-    |
|         | (९) गैसस नवीकरण(कारोबार ले.प. को आधारमा) (न.पा.मा दर्ता रहेका)                                                                                                                 |            |
|         | क. ५ लाखसम्म कारोबार भएको                                                                                                                                                      | १,०००।-    |
|         | ख. १० लाखसम्म कारोबार भएको                                                                                                                                                     | २,०००।-    |
|         | ग. २० लाखसम्म कारोबार भएको                                                                                                                                                     | ३,०००।-    |
|         | घ. ५० लाखसम्म कारोबार भएको                                                                                                                                                     | ५,०००।-    |
|         | ड. १ करोडसम्म कारोबार भएको                                                                                                                                                     | १०,०००।-   |
|         | च. ५ करोडसम्म कारोबार भएको                                                                                                                                                     | २५,०००।-   |
|         | छ. १० करोडसम्म कारोबार भएको                                                                                                                                                    | ५०,०००।-   |
|         | ज. १० करोड भन्दा माथि कारोबार भएको                                                                                                                                             | १,००,०००।- |
|         | <b>नोट:-</b> आव समाप्त भएको ३ महिना भित्र नवीकरण भई सक्नु पर्नेछ सो पछि थप जरिवाना (असोज पछि)                                                                                  | ५००।-      |

| क्र.सं. | विवरण                                                                | दर रु.   |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| १८      | <b>घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र</b>                          |          |
|         | (१) घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र शुल्क                       | २५,०००।- |
|         | (२) घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र नवीकरण शुल्क                |          |
|         | (१) आश्विन मसान्त सम्म                                               | १०,०००।- |
|         | (२) चैत्र मसान्त सम्म                                                | १५,०००।- |
|         | <b>नोट:-</b> चैत्र मसान्तसम्म नवीकरण नगरेमा इजाजत पत्र खारेज हुनेछ । |          |
|         | (३) घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र प्रतिलिपि दस्तुर              | १०००।-   |
|         | (४) घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र ठाउँसारी                      | १,५००।-  |
|         | (५) घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र नाम परिवर्तन                  | १,५००।-  |
|         | (६) घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र नामसारी                       | १,५००।-  |

### (ख) शिक्षासम्बन्धी सिफारिस

| क्र.सं. | विवरण                                                                | दर रु. |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| १       | कक्षा ८ को सर्टिफिकेटमा नाम, थर, जन्ममिति संशोधन गर्दा प्रति सिफारिस | २००।-  |
| २       | कक्षा ८ को प्रमाणपत्र प्रतिलिपि दस्तुर                               | २००।-  |
| ३       | सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय प्रमाणीकरण                           | २००।-  |

### (घ) शैक्षिक संस्था अनुमती/ठाउँसारी

| क्र.सं. | विवरण                                      | दर रु.   |
|---------|--------------------------------------------|----------|
| १       | कक्षा थप अनुमती शुल्क                      |          |
|         | (क) आधारभूत तह प्रति कक्षा                 | ३,०००।-  |
|         | (ख) मा.वि. तह प्रति कक्षा                  | १०,०००।- |
|         | (ग) पूर्व प्राथमिक तह (मन्टेडरी) (एकमुष्ट) | २०००।-   |

| क्र.सं. | विवरण                                             | दर रु.     |
|---------|---------------------------------------------------|------------|
| २       | अन्य पालिकाबाट शैक्षिक संस्था स्थानान्तरण भई आउने |            |
|         | (क) आधारभूत विद्यालय (कक्षा १-३) (एकमुष्ट)        | ५०,०००।-   |
|         | (ख) आधारभूत विद्यालय (कक्षा १-५) (एकमुष्ट)        | ७५,०००।-   |
|         | (ग) आधारभूत विद्यालय (कक्षा १-८) (एकमुष्ट)        | १,००,०००।- |
|         | (घ) माध्यमिक विद्यालय (कक्षा १-१०) (एकमुष्ट)      | १,५०,०००।- |
|         | (ङ) माध्यमिक विद्यालय (कक्षा १-१२) (एकमुष्ट)      | २,००,०००।- |
|         | (च) पूर्व प्राथमिक तह (मन्टेश्वरी) (एकमुष्ट)      | २०,०००।-   |

## (ङ) स्वास्थ्य सम्बन्धी

| क्र.सं. | विवरण                                            | दर रु.   |
|---------|--------------------------------------------------|----------|
|         | स्वास्थ्य सेवा स्थापना तथा नवीकरण दस्तुर         |          |
| १       | अस्पताल तथा नसिङ्ग होम (सैया संख्या)             |          |
|         | (क) नवीकरणका लागि दस्तुर (प्रति सैया)            | २,०००।-  |
| २       | डायग्नोस्टिक सेन्टर (सेवा प्रकार)                |          |
|         | (क) स्थापनाका लागि दस्तुर (प्रति सेवा)           | १०,०००।- |
|         | (ख) नवीकरणका लागि दस्तुर (प्रति सेवा)            | २,०००।-  |
| ३       | पोलिक्लिनिक/क्लिनिक (सेवा प्रकार)                |          |
|         | (क) स्थापनाका लागि दस्तुर (प्रति सेवा)           | ५,०००।-  |
|         | (ख) नवीकरणका लागि दस्तुर (प्रति सेवा)            | २,०००।-  |
| ४       | आयुर्वेद/वैकल्पिक चिकित्सा अस्पताल (सैया संख्या) |          |
|         | (क) स्थापनाका लागि दस्तुर (प्रति सैया)           | ५,०००।-  |
|         | (ख) नवीकरणका लागि दस्तुर (प्रति सैया)            | १,०००।-  |
| ५       | आयुर्वेद क्लिनिक (सेवा प्रकार)                   |          |
|         | (क) स्थापनाका लागि दस्तुर (प्रति सेवा)           | ५,०००।-  |
|         | (ख) नवीकरणका लागि दस्तुर (प्रति सेवा)            | ५००।-    |



| क्र.सं. | विवरण                                  | दर रु.   |
|---------|----------------------------------------|----------|
| ६       | डेन्टल क्लिनिक (सेवा प्रकार)           |          |
|         | (क) स्थापनाका लागि दस्तुर (प्रति सेवा) | ५,०००।-  |
|         | (ख) नवीकरणका लागि दस्तुर (प्रति सेवा)  | ५००।-    |
| ७       | फार्मसी/औषधी पसल/मेडिकल (सेवा प्रकार)  |          |
|         | (क) स्थापनाका लागि दस्तुर (प्रति सेवा) | ५,०००।-  |
|         | (ख) नवीकरणका लागि दस्तुर (प्रति सेवा)  | ५००।-    |
| ८       | प्याथोलोजी (डी प्रकार)                 |          |
|         | (क) स्थापनाका लागि दस्तुर              | २०,०००।- |
|         | (ख) नवीकरणका लागि दस्तुर               | २,०००।-  |
| ९       | प्याथोलोजी (इ प्रकार)                  |          |
|         | (क) स्थापनाका लागि दस्तुर              | १५,०००।- |
|         | (ख) नवीकरणका लागि दस्तुर               | २,०००।-  |

**नोट :-** यस नगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गर्न “चन्द्रागिरि नगरपालिका स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९” बमोजिम दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

#### (च) अन्य शुल्क, दस्तुर

| क्र.सं. | विवरण                                                                         | दर रु. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| १       | कालु पाण्डे समाधि स्थल र भ्यु टावर अवलोकन                                     |        |
|         | (क) कालु पाण्डे समाधि स्थल, दहचोकगढी, भ्यु टावर अवलोकनको टिकट शुल्क (स्वदेशी) | २५।-   |
|         | (ख) कालु पाण्डे समाधि स्थल अवलोकनको टिकट शुल्क (विदेशी)                       | १००।-  |
|         | (ग) भ्यु टावर अवलोकनको टिकट शुल्क (स्वदेशी)                                   | २५।-   |
|         | (घ) भ्यु टावर अवलोकनको टिकट शुल्क (विदेशी)                                    | १००।-  |

**नोट:-** विद्यार्थी/ज्येष्ठ नागरिक/अपाङ्गता भएकालाई माथिका दररेटमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।

|    |                                                                         |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| २  | सम्पत्ति मूल्याङ्कन सेवा शुल्क                                          |                  |
|    | (क) प्रति हजारमा रु. १ का दरले लागने                                    | ११- (प्रति हजार) |
|    | (ख) वैदेशिक प्रयोजनको लागि                                              |                  |
|    | (१) १ करोड भन्दा माथि                                                   | ३,०००१-          |
|    | (२) ५० लाख भन्दा माथि १ करोडसम्म                                        | २,०००१-          |
|    | (३) ५० लाखसम्म                                                          | १,०००१-          |
| ३  | आय श्रोत प्रमाणित दस्तुर                                                |                  |
|    | (क) प्रति हजारमा रु.१ का दरले लागने                                     | ११- (प्रति हजार) |
|    | (ख) वैदेशिक प्रयोजनको लागि                                              |                  |
|    | (१) १० लाख भन्दा माथि                                                   | २,०००१-          |
|    | (२) ५ लाख भन्दा माथि देखि १० लाखसम्म                                    | १,५००१-          |
|    | (३) ५ लाख सम्मको                                                        | १,०००१-          |
| ४  | अनुमती लिई जग्गा सम्प्राप्तको लागि डोजर प्रयोग बापत लागने दस्तुर        |                  |
|    | (क) नक्शा स्वीकृत गराई निजी घर घडेरी सम्प्राप्त जग्गा खन/पुर्न प्रतिदिन | १,०००१-          |
|    | (ख) पुरानो घर/संरचना भत्काउन प्रति दिन                                  | १०००१-           |
|    | (ग) दर्ता भएका कृषि फर्म प्रति दिन                                      | १०००१-           |
|    | (घ) अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा सम्प्राप्तको लागि प्रतिआना                | ५,०००१-          |
|    |                                                                         |                  |
| ५  | लेखा परीक्षण निवेदन दस्तुर                                              | ५००१-            |
| ६  | पशुको गोबर र पिसाब ल्याव परीक्षण शुल्क                                  | २०१-             |
| ७  | पशु इन्स्योरेन्स सिफारिस (गाई, भैसी)                                    | २००१-            |
| ८  | पशु इन्स्योरेन्स सिफारिस (बाख्रा, भेडा, बंगुर)                          | १००१-            |
| ९  | पशु इन्स्योरेन्स सिफारिस कुखुरा (१०० वटा)                               | १००१-            |
| १० | ठुला पशु (गाई, भैसी, घोडा, बंगुर) दर्ता शुल्क                           | २०१-             |

|    |                                                                                                                                                   |                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ११ | साना पशु (वाखा) दर्ता शुल्क                                                                                                                       | १०।-                 |
| १२ | कुकुर बिरालो खरायो दर्ता शुल्क                                                                                                                    | २०।-                 |
| १३ | कृत्रिम गर्भाधान                                                                                                                                  | ५०।-                 |
| १४ | पन्छी दर्ता शुल्क                                                                                                                                 | ५।-                  |
| १५ | भाले पशु बन्ध्याकरण                                                                                                                               | ५०।-                 |
| १६ | गोबर परिक्षण शुल्क                                                                                                                                | २०।-                 |
| १७ | दुध परिक्षण शुल्क                                                                                                                                 | २०।-                 |
| १८ | पोस्टमाटम शुल्क जनावर रकम                                                                                                                         | १००।-                |
| १९ | पोस्टमाटम शुल्क पन्छी                                                                                                                             | ५०।-                 |
| २० | कृषि फर्म/समूह दर्ता शुल्क                                                                                                                        | ५००।-                |
| २१ | कृषि फर्म/समूह नवीकरण शुल्क                                                                                                                       | ५००।-                |
| २२ | सूची दर्ता                                                                                                                                        | ५००।-                |
| २३ | मेलमिलापकर्ता सूचीकृत शुल्क                                                                                                                       | १०।-                 |
| २४ | अन्य सिफारिस                                                                                                                                      | १००।-                |
| २५ | अन्य अंग्रेजी सिफारिस दस्तुर                                                                                                                      | २००।-                |
| २६ | यातायात कार्यालयमा आवश्यक पर्ने सवारी साधन नामसारी गर्दा दिइने दरखास्त फाराम दस्तुर (प्रति फारमको)                                                | १०।-                 |
| २७ | नगरपालिकामा रहेका वन सामुदायीक उपभोक्ता समितिले वार्षिक रुपमा वन पैदावर बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत रकम नगरपालिकामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। | आम्दानीको १० प्रतिशत |
| २८ | निजी क्षेत्रले शौचालय सञ्चालन गर्दा दिसा पिसाबको शुल्क                                                                                            | १०।-                 |
| २९ | निजी क्षेत्रले शौचालय सञ्चालन गर्दा नुहाउनेको शुल्क                                                                                               | १००।-                |

### (झ) फोहरमैला सङ्कलन तथा व्यवस्थापन सेवा शुल्क

| क्र.सं. | विवरण                            | दररेट मासिक |
|---------|----------------------------------|-------------|
| १       | एकधुरी १ परिवार (सटर, पसल नभएको) | २००।-       |

| क्र.सं. | विवरण                                                                                   | दररेट मासिक |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| २       | एकधुरी १ परिवार भन्दा माथि (सटर, पसल नभएको)<br>प्रत्येक परिवारको थप                     | ५०१-        |
| ३       | कस्मेटिक पसल, पत्रिका, कपडा, फेन्सी पसल आदि<br>व्यवसाय                                  | १००१-       |
| ४       | किराना, खाद्यान्न, फेन्सी पसल आदि व्यवसाय                                               | २००१-       |
| ५       | चिया, कफि, केक तथा बेकरी र साइबर आदि व्यवसाय                                            | २५०१-       |
| ६       | तरकारी, फलफुल पसल व्यवसाय                                                               | २००१-       |
| ७       | फलफुल सहित जुस पसल व्यवसाय                                                              | ४००१-       |
| ८       | सैलुन, व्यूटिपार्लर तथा औषधी पसल                                                        | २००१-       |
| ९       | मासु पसल बधशाला नभएको                                                                   | ५००१-       |
| १०      | बधशाला सहितको मासु पसल                                                                  |             |
|         | क. जिउँदो बाहिर काटी पसलमा मासु मात्र काटी<br>बेचविखन गर्ने व्यवसाय                     | ५००१-       |
|         | ख. जिउँदो कुखुरा, चराचुरुङ्गी बधगरी व्यवसाय सञ्चालन<br>गर्ने                            | ७५०१-       |
|         | ग. जिउँदो पशु स्थायी अनुमती प्राप्त बधशाला राखी<br>फ्रिज गरी बेचविखन गर्ने व्यवसाय      | १,५००१-     |
|         | घ. अनुमती प्राप्त बधशाला सहित मासु पसल व्यवसाय<br>ठूलो बधशालाबाट मासु निकासी समेत गर्ने | ४,०००१-     |
| ११      | निजी स्कूल                                                                              |             |
|         | क नर्सरी मुनी मन्टेश्वरी                                                                | ५००१-       |
|         | ख नर्सरी देखि ५ सम्म रु ५००, होस्टल भएमा थप                                             | १,०००१-     |
|         | ग नर्सरी देखि ८ सम्म रु १०००, होस्टल भएमा थप                                            | १,०००१-     |
|         | घ नर्सरी देखि १० सम्म                                                                   | १,५००१-     |
|         | ङ नर्सरी देखि १० सम्म होस्टल भएमा थप                                                    | २,०००१-     |
|         | च माध्यमिक १० जोड २ सम्म थप                                                             | ३,०००१-     |

| क्र.सं. | विवरण                                                                      | दररेट मासिक |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| १२      | बैंक                                                                       | १,०००।-     |
| १३      | सहकारी कार्यालयहरू                                                         | ५००।-       |
| १४      | सरकारी स्कुल, क्याम्पस, स्थानीय सरकारी कार्यालयहरू                         | २००।-       |
| १५      | क्षेत्रीय स्तर, प्रदेश स्तर र संघीय स्तरका कार्यालयहरू                     | ५००।-       |
| १६      | हार्डभिजन हल                                                               |             |
|         | क. हार्डभिजन हल ९० सिट सम्म                                                | २,०००।-     |
|         | ख. हार्डभिजन हलहरू ९० सिट भन्दा माथि                                       | ३,०००।-     |
| १७      | उद्योग कलकारखानाहरू, कार्पेट गार्नेट(सानो)                                 | ३,०००।-     |
| १८      | उद्योग कलकारखानाहरू, कार्पेट गार्नेट(ठूलो)                                 | ४,५००।-     |
| १९      | डिपार्टमेन्टल स्टोर                                                        | १,५००।-     |
| २०      | विदेशी नियोग, सोको आवास क्षेत्र, NGO/INGO तथा दातृ संस्थाहरू               | ५००।-       |
| २१      | औषधी पसल ल्याब सहित                                                        |             |
|         | क. औषधी पसल ल्याब सहित सानो                                                | ५००।-       |
|         | ख. औषधी पसल फार्मेसिए, डाक्टर, ल्याब टेक्निसियन सहित ल्याबको व्यवस्था भएको | १,०००।-     |
|         | ग. पोली क्लिनिक सहितको औषधी पसल                                            | १,५००।-     |
| २२      | सरकारी अस्पताल/निजि अस्पताल (नर्सिङहोम) १५ बेडसम्म                         | २,०००।-     |
| २३      | सरकारी अस्पताल/निजि अस्पताल (नर्सिङहोम) १६ देखि २५ बेडसम्म                 | ३,०००।-     |
| २४      | सरकारी अस्पताल/निजि अस्पताल (नर्सिङहोम) २६ देखि ५० बेडसम्म                 | ५,०००।-     |
| २५      | सरकारी अस्पताल/निजि अस्पताल (नर्सिङहोम) ५१ देखि १०० बेडसम्म                | ७,०००।-     |

|    |                                                                                              |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| २६ | सरकारी अस्पताल/निजि अस्पताल (नर्सिङहोम) १०० बेडभन्दा बढी                                     | १०,०००।-               |
| २७ | ठूला व्यापारिक भवन कलकारखानाहरु (प्रति मिनी ट्रक)                                            | ८,०००।-                |
| २८ | पार्टी प्यालेस/ब्यान्केट/फुडल्याण्ड                                                          |                        |
|    | (क) पार्टी प्यालेस/भोज आयोजना स्थल २०० जनासम्म व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको           | ६००।-                  |
|    | (ख) पार्टी प्यालेस/भोज आयोजना स्थल २०० देखि ३०० जनासम्म व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको  | १,५००।-                |
|    | (ग) पार्टी प्यालेस/भोज आयोजना स्थल ३०० देखि ५०० जनासम्म व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको  | २,०००।-                |
|    | (घ) पार्टी प्यालेस/भोज आयोजना स्थल ५०० देखि १००० जनासम्म व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको | ३,५००।-                |
|    | (ङ) पार्टी प्यालेस/भोज आयोजना स्थल १००० जनाभन्दा माथि व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको    | ५,०००।-                |
|    | (च) फुडल्याण्ड                                                                               | १,५००।-                |
| २९ | मिनीमार्ट (आकार हेरी)                                                                        |                        |
|    | (१) मिनी मार्केट ग्रासरी (मिनी मार्ट) खाद्यान बिक्री वितरण गर्ने                             | १,०००।-                |
|    | (२) मिनी मार्केट, ग्रासरी कपडा समेतको व्यवसाय                                                | २,०००।-                |
|    | (३) मिनी मार्केट, ग्रासरी, तरकारी, फलफूल समेत सबै पाइने व्यवसाय                              | ५,०००।-                |
| ३० | तारे होटेल प्रति तारा                                                                        | १५,०००।-               |
| ३१ | व्यापारिक सटर/कबलहरु                                                                         | प्रति वर्ग फिट ५० पैसा |

|    |                                                                                                 |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ३२ | खाजा घर                                                                                         | ४००।-   |
| ३३ | रेष्टुरेण्ट सानो                                                                                | ४५०।-   |
| ३४ | रेष्टुरेण्ट डान्स बार, लाइभ म्युजिक सहित                                                        | १,०००।- |
| ३५ | अन्य छुट व्यवसाय (आकारको आधारमा)                                                                |         |
|    | (क) फलाम छड/आल्मुनियम व्यवसाय                                                                   | ५००।-   |
|    | (ख) सिसा पसल                                                                                    | ५००।-   |
|    | (ग) ग्यारेज मोटरसाईकल (वर्कसप)                                                                  | ५००।-   |
|    | (घ) ग्यारेज मोटरसाईकल, गाडी समेतको (वर्कसप) रहेको                                               | १,०००।- |
|    | (ङ) टायर रिसोलिड पसल                                                                            | १००।-   |
|    | (च) मोटर पाटर्स प्रति कोठा                                                                      | १००।-   |
|    | (छ) मोटर पाटर्स उत्पादन                                                                         | ५००।-   |
|    | (ज) गहना पसल                                                                                    | १००।-   |
|    | (झ) स्यानिटरी पसल                                                                               | ५००।-   |
|    | (ञ) रड पसल                                                                                      | २००।-   |
|    | (ट) कवाडी खाना सानो                                                                             | १,०००।- |
|    | (ठ) कवाडी खाना ठूलो                                                                             | ३,०००।- |
|    | (ड) जुत्ता कारखाना                                                                              | १,०००।- |
|    | (ढ) आवासीय रिसोर्ट प्रति कोठा                                                                   | १००।-   |
|    | (ण) हस्तकला उद्योग तथा व्यवसाय                                                                  | १,०००।- |
|    | (त) गोदाम खाद्यान                                                                               | १,०००।- |
|    | (थ) घर सजावट (शौचालय, किचन, विद्युतीय निर्माण)                                                  | १,५००।- |
|    | (द) केमिकल उत्पादन तथा वितरण गर्ने आयल वा विद्युतीय टान्स्फरमरबाट निस्कने अन्य डिपो तथा व्यवसाय | १,०००।- |

नोट:- माथि उल्लेखित फोहर सङ्कलन शुल्क उठाउँदा प्रत्येक शिर्षकबाट नागरिक, व्यक्ति, संस्था वा व्यवसायबाट सदस्यता वापत सङ्कलित रकमको बार्षिक रुपमा हिसाब गरी २ प्रतिशत नगरपालिकाको कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसको पालना नगर्ने संस्थाको नवीकरण गरिनेछैन।

**अनुसूची -११**  
**(दफा १४ सँग सम्बन्धित)**  
**जरिवाना**

(क) सार्वजनिक स्थल, सडकमा अतिक्रमण गरी अव्यवस्थित बजार, पसल, अनधिकृत रुपमा पार्किङ्ग लगायतका कार्यमा दण्ड जरिवाना

| सि.नं. | विवरण                | जरिवाना गरी सामान फिर्ता दिने समय | जरिवाना रु. | कैफियत                                                     |
|--------|----------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| १      | ठेला                 | पक्राउ भएकै दिन                   | १,०००।-     | ३५ दिनसम्ममा सामान फिर्ता लिन नआएमा उक्त सामान जफत गरिनेछ। |
| २      | गाडा                 | पक्राउ भएकै दिन                   | १,५००।-     |                                                            |
| ३      | फलफूल साईकल          | पक्राउ भएकै दिन                   | १,५००।-     |                                                            |
| ४      | घुम्ती पसल           | पक्राउ भएकै दिन                   | २०००।-      |                                                            |
| ५      | आयुर्वेदिक औषधी      | पक्राउ भएकै दिन                   | ५००।-       |                                                            |
| ६      | चिया पसल             | पक्राउ भएकै दिन                   | ५००।-       |                                                            |
| ७      | स्ट्याण्ड बोर्ड      | पक्राउ भएकै दिन                   |             | सामान जफत गर्ने                                            |
| ८      | होर्डिङ बोर्ड        | पक्राउ भएकै दिन                   |             |                                                            |
| ९      | फ्लेक्स फ्रेम ब्यानर | पक्राउ भएकै दिन                   |             |                                                            |
| १०     | फ्लेक्स ब्यानर       | पक्राउ भएकै दिन                   |             |                                                            |
| ११     | गेट                  | पक्राउ भएकै दिन                   |             |                                                            |
| १२     | कपडाको ब्यानर        | पक्राउ भएकै दिन                   |             |                                                            |
| १३     | व्यवसायिक स्टल       | पक्राउ भएकै दिन                   |             |                                                            |
| १४     | चुरोट पसल            | पक्राउ भएकै दिन                   | ५००।-       |                                                            |
| १५     | नाइलो पसल            | पक्राउ भएकै दिन                   | ५००।-       |                                                            |
| १६     | सि.डी. चक्का         | पक्राउ भएकै दिन                   | ५००।-       |                                                            |
| १७     | कुखुरा               | पक्राउ भएकै दिन                   | ५००।-       |                                                            |
| १८     | खसी, बाख्रा (चौपाया) | पक्राउ भएकै दिन                   | ५००।-       |                                                            |



| सि.नं. | विवरण                   | जरिवाना गरी सामान<br>फिर्ता दिने समय | जरिवाना रु. | कैफियत                                                                |
|--------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| १९     | पंक्षी                  | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-       |                                                                       |
| २०     | सागसब्जी                | पक्राउ भएकै दिन                      | २००।-       |                                                                       |
| २१     | तरकारी                  | पक्राउ भएकै दिन                      | २००।-       |                                                                       |
| २२     | फलफूल                   | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-       |                                                                       |
| २३     | चना चटपटे खोचा          | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-       |                                                                       |
| २४     | पानीपुरी खोचा           | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-       |                                                                       |
| २५     | कपडा                    | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-       |                                                                       |
| २६     | कस्मेटिक सामान          | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-       |                                                                       |
| २७     | काष्ठ सामाग्री          | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-       |                                                                       |
| २८     | फलामे सामाग्री          | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-       |                                                                       |
| २९     | खेलौना                  | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-       |                                                                       |
| ३०     | भाँडा वर्तन             | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-       |                                                                       |
| ३१     | मेसिन, औजार             | पक्राउ भएकै दिन                      | १,०००।-     |                                                                       |
| ३२     | घडी                     | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-       |                                                                       |
| ३३     | जुत्ता, चप्पल           | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-       |                                                                       |
| ३४     | ढक तराजु                | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-       |                                                                       |
| ३५     | क्रेट                   | पक्राउ भएकै दिन                      | ३००।-       |                                                                       |
| ३६     | किताब                   | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-       |                                                                       |
| ३७     | पत्रपत्रिका             | पक्राउ भएकै दिन                      | १००।-       |                                                                       |
| ३८     | मोबाईलको खोल,<br>चार्जर | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-       |                                                                       |
| ३९     | निर्माण औजार            | पक्राउ भएकै दिन                      | ३००।-       | ३५ दिन सम्म<br>सामान फिर्ता<br>लिन नआएमा<br>उक्त सामान<br>जफत गरिनेछ। |

| सि.नं. | विवरण                        | जरिवाना गरी सामान<br>फिर्ता दिने समय | जरिवाना रु.         | कैफियत                                                       |
|--------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| ४०     | निर्माण सामाग्री             | पक्राउ भएकै दिन                      | १,०००।-             | सामानको परिमाण<br>हेरी प्रमुखबाट थप<br>जरिवाना हुन<br>सक्ने। |
| ४१     | स्टोभ                        | पक्राउ भएकै दिन                      | २००।-               |                                                              |
| ४२     | खाद्य पदार्थ                 | पक्राउ भएकै दिन                      | ३००।-               |                                                              |
| ४३     | पेटी (बेल्ट)                 | पक्राउ भएकै दिन                      | ३००।-               |                                                              |
| ४४     | विद्युतीय सामान              | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-               |                                                              |
| ४५     | डमी                          | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-               |                                                              |
| ४६     | माछा                         | पक्राउ भएकै दिन                      | १,०००।-             |                                                              |
| ४७     | ढुङ्गाबाट निर्मित<br>सामग्री | पक्राउ भएकै दिन                      | २००।-               |                                                              |
| ४८     | सवारी साधन गाडी              | पक्राउ भएकै दिन                      | १०,०००।-            | विज्ञापनको लागि<br>प्रयोग भएकोलाई                            |
| ४९     | माटोबाट निर्मित<br>सामान     | पक्राउ भएकै दिन                      | ३००।-               |                                                              |
| ५०     | ग्यासको सिलिण्डर             | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-               | चुलो सहित भएमा<br>रु. ५०० सम्म                               |
| ५१     | टेबल, बेन्च                  | पक्राउ भएकै दिन                      | ५००।-               |                                                              |
| ५२     | दराज                         | पक्राउ भएकै दिन                      | ८००।-               |                                                              |
| ५३     | छाडा चौपाया                  | पक्राउ भएकै दिन                      | प्रति गोटा<br>३००।- | लिलाम बढाबढमा<br>कबोल रकम, लैनो<br>गाई (५०००)                |
| ५४     | रड/छड                        | पक्राउ भएकै दिन                      | १,०००।-             |                                                              |

| सि.नं. | विवरण                                                                                   | जरिवाना गरी सामान<br>फिर्ता दिने समय | जरिवाना रु.                                                         | कैफियत                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५५     | अनाधिकृत स्थलमा<br>पार्किङ<br>(मोटरसाईकल/<br>स्कूटर)                                    | पक्राउ भएकै दिन                      | १,०००।-                                                             | लाईसेन्स र ब्लू<br>बुक अनिवार्य राख्नु<br>पर्ने                                                                                                                                                      |
| ५६     | अनधिकृत स्थलमा<br>साना सवारी साधन<br>पार्किङ(कार, जिप,<br>भ्यान, माइक्रो<br>आदि)        | पक्राउ भएकै दिन                      | २,०००।-                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
| ५७     | अनधिकृत स्थलमा<br>ठूला सवारी साधन<br>पार्किङ (बस,<br>मिनिबस, ट्रक,<br>ट्रिपर, डोजर आदि) | पक्राउ भएकै दिन                      | ५,०००।-                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
| ५८     | ठूलो ट्रिपर राजस्व<br>नबुझाई वा अनुमति<br>बिना नगरपालिकामा<br>प्रवेश गरेमा              | पक्राउ भएकै दिन                      | रोडा/ढुंगा/<br>ग्रावेल ल्याए<br>वा पत को<br>एकमुष्ट रु.<br>१५,०००।- | सवारी साधनको<br>साँचो नियन्त्रणमा<br>लिइनेछ ।<br>नियन्त्रणमा<br>लिएको साँचो ३५<br>दिनसम्म पनि<br>फिर्ता लिन<br>नआएमा उक्त<br>साधनमा रहेको<br>सामग्री जफत<br>गरी आवश्यक<br>कारवाही अगाडि<br>बढाइनेछ । |

| सि.नं. | विवरण                                                                                 | जरिवाना गरी सामान<br>फिर्ता दिने समय | जरिवाना रु.                                                       | कैफियत                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५९     | ठूलो ट्रिपर राजश्व<br>नबुझाई वा अनुमति<br>बिना नगरपालिकामा<br>प्रवेश गरेमा            | पक्राउ भएकै दिन                      | माटो ल्याए<br>वापतको<br>एकमुष्ट रु.<br>७,०००।-                    | सवारी साधनको<br>साँचो नियन्त्रणमा<br>लिइनेछ ।<br>नियन्त्रणमा<br>लिएको साँचो ३५<br>दिनसम्म पनि<br>फिर्ता लिन<br>नआएमा उक्त<br>साधनमा रहेको<br>सामग्री जफत<br>गरी आवश्यक<br>कारवाही अगाडि<br>बढाइनेछ । |
| ६०     | मिडियम ट्रिपर/<br>आइचर राजश्व<br>नबुझाई वा अनुमति<br>बिना नगरपालिकामा<br>प्रवेश गरेमा | पक्राउ भएकै दिन                      | रोडा/ढुंगा/<br>ग्रावेल ल्याए<br>वापतको<br>एकमुष्ट रु.<br>१२,०००।- | सवारी साधनको<br>साँचो नियन्त्रणमा<br>लिइनेछ ।<br>नियन्त्रणमा<br>लिएको साँचो ३५<br>दिनसम्म पनि<br>फिर्ता लिन<br>नआएमा उक्त<br>साधनमा रहेको<br>सामग्री जफत<br>गरी आवश्यक<br>कारवाही अगाडि<br>बढाइनेछ । |

| सि.नं. | विवरण                                                                                 | जरिवाना गरी सामान<br>फिर्ता दिने समय | जरिवाना रु.                                                      | कैफियत                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६१     | मिडियम ट्रिपर/<br>आइचर राजश्व<br>नबुझाई वा अनुमति<br>बिना नगरपालिकामा<br>प्रवेश गरेमा | पक्राउ भएकै दिन                      | माटो ल्याए<br>वापतको<br>एकमुष्ट रु.<br>६,०००।-                   | सवारी साधनको<br>साँचो नियन्त्रणमा<br>लिइनेछ ।<br>नियन्त्रणमा<br>लिएको साँचो ३५<br>दिनसम्म पनि<br>फिर्ता लिन<br>नआएमा उक्त<br>साधनमा रहेको<br>सामाग्री जफत<br>गरी आवश्यक<br>कारवाही अगाडि<br>बढाइनेछ । |
| ६२     | सानो ट्रिपर/निसान<br>राजश्व नबुझाई वा<br>अनुमति बिना<br>नगरपालिकामा प्रवेश<br>गरेमा   | पक्राउ भएकै दिन                      | रोडा/ढुंगा/<br>ग्रावेल ल्याए<br>वापतको<br>एकमुष्ट रु.<br>८,०००।- | सवारी साधनको<br>साँचो नियन्त्रणमा<br>लिइनेछ ।<br>नियन्त्रणमा<br>लिएको साँचो ३५<br>दिनसम्म पनि<br>फिर्ता लिन<br>नआएमा उक्त<br>साधनमा रहेको<br>सामाग्री जफत<br>गरी आवश्यक<br>कारवाही अगाडि<br>बढाइनेछ । |

| सि.नं. | विवरण                                                                               | जरिवाना गरी सामान<br>फिर्ता दिने समय | जरिवाना रु.                                    | कैफियत                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६३     | सानो ट्रिपर/निसान<br>राजश्व नबुझाई वा<br>अनुमति बिना<br>नगरपालिकामा प्रवेश<br>गरेमा | पक्राउ भएकै दिन                      | माटो ल्याए<br>वापतको<br>एकमुष्ट रु.<br>४,०००।- | सवारी साधनको<br>साँचो नियन्त्रणमा<br>लिइनेछ ।<br>नियन्त्रणमा<br>लिएको साँचो ३५<br>दिनसम्म पनि<br>फिर्ता लिन<br>नआएमा उक्त<br>साधनमा रहेको<br>सामाग्री जफत<br>गरी आवश्यक<br>कारवाही अगाडि<br>बढाइनेछ । |
| ६४     | नगरपालिकाको<br>अनुमति बेगर डोजर<br>सञ्चालन गरेमा                                    | पक्राउ भएकै दिन                      | एकमुष्ट रु.<br>५०,०००।-                        | डोजर/<br>स्क्र्याभेटरको<br>साँचो नियन्त्रणमा<br>लिइनेछ ।<br>नियन्त्रणमा<br>लिएको साँचो ३५<br>दिनसम्म पनि<br>फिर्ता लिन<br>नआएमा जरिवाना<br>दोब्बर लाग्नेछ ।                                           |

| सि.नं. | विवरण                                                                                                                | जरिवाना गरी सामान<br>फिर्ता दिने समय | जरिवाना रु.                | कैफियत                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ६५     | घर, कम्पाउण्ड, वा<br>परिसरको<br>फोहोरमैला सडक,<br>खोला वा अन्य<br>सार्वजनिक स्थानमा<br>फोहोर फालेको<br>प्रमाणित भएमा |                                      | पहिलो पटक<br>रु.<br>५०००।- | दोस्रो पटक<br>१०,०००।-<br>त्यस पछि पटकै<br>पिच्छे रु.<br>१५,०००।- |
| ६६     | पसल, सडक, घर<br>वरिपरि प्लाष्टिक वा<br>अन्य कसिंगर<br>बालेमा                                                         |                                      | पहिलो पटक<br>रु. १००।-     | त्यस पछि पटकै<br>पिच्छे रु.<br>५००।-                              |
| ६७     | नगरक्षेत्र भित्र<br>जुनसुकै व्यवसायीले<br>फोहोर बालेमा                                                               |                                      | १०,०००।-                   |                                                                   |
| ६८     | नगरक्षेत्र भित्र निजि<br>फोहोर बालेमा<br>(घरधुरीबाट)                                                                 |                                      | ५०००।-                     |                                                                   |
| ६९     | जुनसुकै<br>सवारीसाधानबाट<br>फोहोर फालेमा                                                                             |                                      | ५००।-                      |                                                                   |

### पुनश्च :-

- (१) माथि उल्लेखित शिर्षक अनुसारको सामानहरूको भौतिक अवस्थाका सम्बन्धमा स्वयम् व्यापारी जवाफदेही भै कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ। अन्यथा सामान नष्ट हुन गएमा सम्बन्धित व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ।
- (२) पटके रुपमा पक्राउ भई आएका सामानहरूको हकमा माथि उल्लेखित जरिवानामा प्रत्येक जरिवाना दोब्बर हुनेछ।

- (३) फिल्डमा खटिने कर्मचारीहरूसँग अनावश्यक विवाद गरेमा सो अनुसारको कारवाही तथा जरिवाना गरिनेछ। साथै माथि उल्लेख नभएका विषयमा जरिवाना रु. १,०००।- गरिनेछ।
- (४) डोजर लगायत अन्य विभिन्न प्रकारका जरिवाना असूलीमा सहयोग पुर्याउने नगर प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायहरूलाई जम्मा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइनेछ।
- (५) फोहोरमैला सम्बन्धीको कसूर र दण्ड सजाय वापतको राजस्व तथा जरिवाना चन्द्रागिरि नगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम असूल गर्न बाधा पर्नेछैन।
- (६) निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्न विकल्प नभएमा भवनको भुईँ तल्ला सम्म निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री सार्वजनिक आवागमनमा असर नपर्ने गरि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट अग्रीम स्वकृती लिई तोकिएको समय सम्म राख्न पाउनेछ। तर सो अवधि भन्दा बढी राखेमा दैनिक रु ५००० का दरले जरिवाना गरि त्यस्तो सामान जफत गरिनेछ।

### (ख) सहकारी संस्थाको जरिवाना

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                           | जरिवाना रकम | कैफियत       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| १       | सहकारी संस्थाले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा तथा तोकिएको समयभित्र साधारण सभा सम्पन्न नगरेमा | ५,०००।-     | प्रति वर्ष   |
| २       | नाफामूलक सहकारी संस्थाले नियमित मासिक प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा                                       | १,०००।-     | प्रत्येक पटक |
| ३       | नाफामूलक सहकारी संस्थाले वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा                                            | १,०००।-     | प्रत्येक पटक |
| ४       | ले.प. नियुक्तिको जानकारी तोकिएको समय भित्र पेश नगरेमा                                                           | १,५००।-     | प्रति वर्ष   |



**अनुसूची - १२**  
**(दफा १५ सँग सम्बन्धित)**  
**कर छुट**

जुनसुकै नेपाली नागरिकले तपशिल बमोजिमको कर छुट सुविधा लिन सक्नेछ।

| क्र. सं. | विवरण                                                                                                                                                                                    | छुट         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| १        | महिलाहरुको नाममा व्यवसाय दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा                                                                                                                                     | ५० प्रतिशत  |
| २        | अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाममा संचालित व्यवसाय दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा                                                                                                                | १०० प्रतिशत |
| ३        | एकल महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा                                                                                                                                    | १०० प्रतिशत |
| ४        | महिला र पुरुषको साझेदारीमा व्यवसाय दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा                                                                                                                           | २५ प्रतिशत  |
| ५        | महिला, दलित तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक उद्यमीको स्वामित्वमा सञ्चालित घरेलु उद्योग दर्ता सिफारिस दस्तुरमा                                                                                    | ५० प्रतिशत  |
| ६        | आ.व. सुरु भएको ३ महिना (२०८३ असोज मसान्त) भित्र सम्पत्ति कर, भूमिकर, व्यवसाय कर, घरजग्गा बहाल कर बुझाएमा करको कूल रकममा                                                                  | २५ प्रतिशत  |
| ७        | हाल सम्म नियमित कर (सम्पत्ति कर, भूमिकर मालपोत, व्यवसाय कर, घर जग्गा बहाल कर) नतिरेका करदाताहरुको वक्यौतामा लाग्ने दण्ड जरिवानामा<br><br>(छुट समयावधि २०८३ असोज मसान्त सम्म मात्र हुनेछ) | १०० प्रतिशत |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ८ | <ul style="list-style-type: none"> <li>० नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिस</li> <li>० व्यक्तिगत घटनादर्ता (जन्मदर्ता/विवाह दर्ता/बसाई सराई दर्ता/सम्बन्ध बिछेद दर्ता/मृत्युदर्ता) ३५ दिन भित्र</li> <li>० अपाङ्गता प्रमाणित सिफारिस</li> <li>० गरिवी प्रमाणित सिफारिस</li> <li>० स्वास्थ्य सिफारिस, हस्पिटलमा निःशुल्क उपचारको लागि गरेको सिफारिस</li> <li>० ज्येष्ठ नागरिक/एकल महिला प्रमाणित सिफारिस</li> <li>० सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण सिफारिस</li> <li>० बेरोजगार परिचयपत्र र आवेदन फाराम</li> <li>० विपन्न नागरिक निवेदन</li> <li>० आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको लागि गरेको सिफारिस</li> <li>० नगरपालिका/संघ/प्रदेशमा गरिने योजना सम्झौता/माग/भुक्तानी सिफारिस</li> <li>० कृषी बाली, पशु इन्स्योरेन्स दाबी सिफारिस</li> <li>० व्यक्तिको अवस्था (जीवित) सिफारिस (प्रयोजन खुलाउनु पर्ने)</li> <li>० अदालत शुल्क मिनाहा</li> <li>० आन्तरिक बसाइसराइ सिफारिस</li> <li>० नाबालक सम्बन्धी सिफारिस</li> <li>० सार्वजनिक प्रयोजनको लागि गरिने विधुत, स्वास्थ्य संस्था तथा खानेपानी सिफारिस</li> </ul> | १००<br>प्रतिशत |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

प्रमाणीकरण मिति: २०८३ असार ३२ गते

मूल्य रू: ५५/-

आज्ञाले

जग्दिश चन्द्र नेपाली

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत